an>

Title: Further discussion on the agrarian situation in the country.

HON. SPEAKER: Now, there will be no 'Zero Hour'. We shall take it up in the evening. Now, we will start Discussion under Rule 193. बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री पी.पी. चौधरी।

श्री पी.पी.चौधरी **(**पाली**) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 193 के तहत किसानों के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज की तारीख में 60 प्रतिशत किसानों को कृषि द्वारा रोजगार मिलता है। हालांकि मैं मानता हूं कि कृषि द्वारा रोजगार देने के 1961 के अगर आंकड़े देखें तो तब से लेकर 2014 तक इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। सन् 1961 में कृषि द्वारा करीब 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता था।

हमारी कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कुछ समस्याएं मैनमेड हैं और कुछ नेचर द्वारा पैदा होती हैं। जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए। अभी हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के अन्य राज्यों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यह माना जाता है कि नेचर के अगेंस्ट कुछ जोर नहीं चलता। राम रूठ सकता है, लेकिन ऐसे मामले में राज को नहीं रूठना चाहिए।

मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में अधिक से अधिक राशि किसानों को राहत के रूप में दी जाए। जहां तक मैनमेड समस्या का सवाल है, 1961 से लेकर अब तक असंतुलित कृषि नीति होने की वजह से कृषि पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से किसान बहुत ही दुखी हुआ है। आज किसान को अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। वर्ष 1961 में अगर किसान सौ रुपये अपने खेत में लगाता था तो उसको 130 रुपये मिलता था। आज किसान सौ रुपये खेत में लगाता है तो उसको केवल 60 रुपये की आय होती है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड और इनसैक्टिसाइड ऐसे हैं जिनको खेत में यूज़ किया जाता है, जबकि वे बैन हो चुके हैं। अमेरीका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जो पेस्टीसाइड और इनसैक्टीसाइड बैन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे किसान उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और न ही उनको इस बारे में जानकारी प्रोवाइड की जा रही है।

जहां तक ऋण और बीमा का सवाल है, उसमें भी पर्याप्त सुविधाएं न होने की वजह से किसानों का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 13 प्रतिशत रह गया है, जबकि वर्ष 1961 में यह 55 प्रतिशत था। यह बहुत सोचने वाली बात है। आज हमारी 60 प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत को ही ट्यूबवेल से पानी मिल रहा है। अगर हम पांच वर्ष का एवरेज लें तो हमारी कृषि तीन वर्ष बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती है। अगर दो साल मानसून ठीक भी रहता है तो भी हमारे किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में गांव मजबूरी की शरणस्थली बन चुका है। आज फूड सिक्योरिटी के साथ ही साथ नरेगा भी चल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि 80 परसेंट लोग फूड सिक्योरिटी में कवर्ड हैं। इसका कारण यह है कि कृषि के बर्बाद होने के कारण फूड सिक्योरिटी में एक रुपये प्रति किलो अनाज किसानों को खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं किसानों को अपनी किसानी छोड़कर नरेगा के मजदूर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। मेरे मत में इसका उपाय यह है कि नदियों को जोड़ने का काम यदि सरकार कर लेती है तो पूरे देश की कम से कम 60 प्रतिशत जमीन सिंचित की जा सकती है। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। यही नहीं गांव में नदियों को जोड़ने से जो पानी आएगा, उससे देश का कोई भी गांव पीने के पानी से वंचित नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ इससे किसान का हर खेत सिंचित हो जाएगा। इससे सूखा और बाढ़ का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।

12.23 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

पिछले दो वर्षों में 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इंडस्ट्री को इंसेन्टिव के रूप में दिए गए और दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स के माफ किए गए। यही पैसा अगर नदियों को जोड़ने के लिए लगा दिया गया होता तो आज हमारे किसानों पर जो आपदा आयी हुई है, वह हमें देखने को नहीं मिलती। पिछले पचास सालों से किसानों की समस्या के बारे में इस सदन में चर्चा होती रही है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। जबकि किसान वहीं खड़ा नहीं है, वह और गरीब होता गया है। इसके समाधान के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं उस रिपोर्ट के अलग-अलग विषयों के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाती है तो उससे बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलेगी। ...(व्यवधान)

महोदय, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश का किसान इसे सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप बोलने के लिए पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

मैं बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में बता रहा था कि ओलावृष्टि के अलावा बाढ़ और सूखे की स्थिति भी आती है, उससे निपटने के लिए जिस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने यह कहा था कि अगर नदियों से नदियां जोड़ी जाती हैं तो उसमें हमें 2400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। 25 मिलियन हैक्टेअर लैंड इरिगेट हो सकती है और दस मिलियन हैक्टेअर लैंड में ग्राउंड वाटर रीचार्ज होगा। मैं हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अभी इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि क्षेत्र सिंचित करना, फसल बीमा योजना हेतु 2590 करोड़ रुपये प्रस्तावित करना, प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, फार्म क्रेडिट, जहां 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, मैं सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी जो आपदा आई है, चाहे मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली में आई है और चाहे राजस्थान में अन्य जगह आई है, मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

*श्री नारणभाई काछड़िया **(अमरेली):** पिछले 65 वर्षों से किसानों के मुद्दों में चर्चा हो रही है और इस देश में 60 वर्षों से अधिक कांग्रेस ने राज किया है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों एवं किसान विरोधी नीति होने के कारण किसान की दुर्दशा निरंतर जारी है। 1995 से आज तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज किसानों के 80 मिलियन परिवारों में से 40 मिलियन परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। यह सब पूर्व की सरकार की नीतियों का परिणाम है।

देश में 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमें किसान हितैषी नीतियों को लागू करना होगा। हमें किसानों के लिए को-ऑपरेटिव बैंक बनाने होंगे। हमें छोटे-छोटे किसानों को कम्पेटिटिव बनाना होगा। प्रतिवर्ष बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है। लेकिन आज तक उसे बचाने के लिए कोल्ड चेन और ग्रेन स्टोर नहीं बन सके हैं। इस कार्य के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और आज फसल बीमा और कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी लागू करने की आवश्यकता है।

आज विचार करने का विषय है कि किसानों द्वारा जिस तकनीक को अपनाया जा रहा है, उसकी पैदावार कितनी है? उसकी लागत के अनुसार प्राप्ति कितनी है? आज उसकी जमीन की टेस्टिंग करने के बाद उसके अनुरूप तकनीकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों के प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

HON. DEPUTY SPEAKER: I request the hon. Members to be very brief. There are many Members who want to speak on this issue. It was supposed to be completed yesterday night itself but keeping in view many members want to speak, we have taken up this discussion today also. So, I would request all the Members to be very brief in their speeches. After this, the hon. Minister has to reply and then, we have to take up other business also. So, highlight only the important issues in one's speech and be brief.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, when we are discussing about the agrarian distress in India, we cannot ignore the agonies and pathetic economic conditions of the victims of the WTO regime and Indo-ASEAN free trade agreement. In Kerala, the plantation capital of India, millions of growers and workers are in distress due to the spiraling down of prices of cash crops. Two-third of Kerala's cultivated area is dedicated to eight cash crops – natural rubber, cardamom, pepper, arecanut, coconut, tea and coffee and cashew nut.

Sir, growers of cash crops are more vulnerable to the vagaries of the market than any other sector. Given the strategic importance of cash crops, the Government of India brought all these cash crops under the Ministry of Commerce and Commodity Boards were established under different enactments – Rubber Act, Coffee Act, Tea Act etc.

Forty-six percent of the country's plantation produced are being contributed by Kerala. As far as the Rubber is concerned, 83 per cent of natural rubber is being produced in Kerala. After economic reforms and trade relaxation in 1991, the Government has relaxed restrictions on import of agriculture produces especially cash crops like natural rubber and cardamom. Anybody can import rubber to India by paying 20 per cent or Rs. 30 whichever is lower as import duty. Rubber can also be imported under free export with a commitment to re-export the value added goods within 18 to 24 months. I am very grateful to this Government that the time period has been reduced to six month and I appreciate that also.

Mr. Deputy Speaker, Sir, during the period April, 2011, we were getting rubber at Rs. 240 per kilogram and now we are getting at Rs. 113 per kilogram. The cost of production of one kilogram of dry rubber is now Rs. 150 to 160 per kilogram.

There are WTO agreements as well as the Indo-ASEAN Free Trade Agreements wherein India has offered tariff concession on import of a number of agricultural commodities including rubber. The most alarming, rather unfortunate fact is that natural rubber is classified as an industrial product and not as an agricultural commodity. Bound rate of the imported tariff of natural rubber in dry form is fixed as 25 per cent or Rs.30, whichever is less, whereas the rate of latex is 75 per cent or Rs.49, whichever is less.

Taking advantage of the relaxed restrictions, the import of the natural rubber has witnessed manifold increase. During 2008-09, only 77,762 metric tonnes of rubber was imported to India whereas during 2014-15, they have imported 360,273 metric tonnes of rubber. Last year we consumed only 763,800 metric tonnes of rubber but the manufacturers had imported more than 125,000 metric tonnes of rubber in excess of their actual requirement and they are keeping it as a buffer for keeping the price of the natural rubber at a low rate.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I am in the process of concluding.

In these circumstances, there are re-negotiation clauses provided under the WTO and ASEAN agreements. Now, it is for the Government to invoke the re-negotiation clauses in the ASEAN GAR as well as WTO regime for the purpose of re-classifying the rubber and include rubber under the agricultural commodity.

As far as cardamom is concerned, there are a lot of problems in the cardamom sector also. Earlier, we were getting Rs.1,600 per kg for cardamom but now we are getting only Rs.450 per kg. Here also there is indiscriminate import of cardamom. Sir, you are also interested in cardamom because a lot of Tamil people are there in my constituency.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not interested in anything. Please conclude.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I have only this point because there is nobody to represent the grievance of these cash crop growers. That is why, I am presenting their problems.

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members have already spoken on rubber. Please wind up.

ADV. JOICE GEORGE: I will take only one more minute.

Sir, because of indiscriminate import of cardamom from Guatemala and mixing it with our original cardamom and selling it as Indian cardamom domestically and internationally, we have lost our traditional markets in Saudi Arabia and in other countries. This is the case with tea also. In my constituency, there are 45,000 families of tea plant workers and 8500 families of small growers are there. They are all depending on tea but their life is also in distress because of the difficulties in the tea sector. The cardamom sector is also facing the very same problem. In these circumstances, I urge upon the Government to have a considered view in this matter and invoke the re-negotiation clause in the WTO and ASEAN agreement.

Sir, I am concluding. Agriculture is always subjected to vagaries of nature, market and several other factors. Thus, social protection programmes, crop insurance, price stabilization and ensuring a minimum of 50 per cent profits over the cost of production as recommended by the Swaminathan Commission and as stated in the BJP's election manifesto are the need of the hour to mitigate the agrarian crisis in the country and they have to be introduced. I urge upon the Government to take immediate decisions to protect the agrarian people and also include natural rubber as part of 'Make in India' programme. Thank you, Sir.

*श्री राकेश सिंह **(**जबलपुर**):**देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों में से आज भी तकरीबन 65 फीसदी लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ये वो लोग हैं जो देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में आज भी एक तिहाई का योगदान देते हैं। एक आंकड़ा पिछली सरकार के दिनों का है। तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थामस ने तब लोकसभा में स्वीकारा था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 11708 टन खाद्यान या तो खराब है या वितरित करने योग्य नहीं है। बार-बार खबरें आती हैं कि हमारे अनाज गोदाम खाद्यान से भरे हैं। कई बार खबरें आती हैं कि हमारे यहां इतना अनाज हो जाता है कि अनाज को खुले में बाहर रखना पड़ता है। हमारे देश का किसान दिन-रात मेहनत करके, अपना खून-पसीना एक करके, बारिश-ठंड-गर्मी के तमाम मौसमों में अपने खेत में लगा रहता है और सालाना औसतन 20 करोड़ टन खाद्यान पैदा करता है। इतना अनाज की देश के हर व्यक्ति को दो क्विंटल अनाज सालाना मिल सके। हर आदमी को हर महीने करीब 16 किलो अनाज मिल सके।

देश का किसान जो अपने अथक परिश्रम से इतना करता है, वो आज भी अपनी खेती को मौसम की मार से नहीं बचा पा रहा है। कई प्रदेशों में आज भी हमारे देश का किसान जो कर्ज लेता है, उसका 58 फीसदी सरकारी या सहकारी माध्यमों से नहीं, बल्कि अनौपचारिक तरीकों से ले रहा है। और किसान इन लोगों से जिस दर पर कर्ज लेता है, उसका ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता है। इसीलिए मध्यप्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पांच वर्ष पूर्व ही किसान को शून्य प्रतिशत यानि बिना ब्याज के कर्ज मिले यह निर्णय कर लिया था। जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने है। और मध्यप्रदेश में आज कृषि विकास दर 24.99 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का आंकड़ा है। 1997 से 2007 के बीच देश में एक लाख 82 हजार 936 किसान भाईयों ने आत्म हत्या की। मतलब हर आधे घंटे में एक किसान अपनी जान दे रहा था। देश का अन्नदाता ही अपना जीवन खत्म कर रहा था। हमारे विपक्षी सांसद यूपीए सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम होगा कि 2006 में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाने गए विदर्भ का दौरा किया था, तो प्रधानमंत्री के उस दौरे के बाद वर्धा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा था- "प्रधानमंत्री के दौरे और फसल पर नए कर्ज की घोषणा के बाद मुझे लगा कि मैं दोबारा जी सकूंगा। लेकिन बैंक में मेरी कोई इज्जत नहीं थी।" ...ये सच्चाई है देश के किसान की हताशा की। आजादी के 50 साल तक देश में राज करने की दावा करने वाले क्यों नहीं किसान भाईयों के लिए कुछ कर पाएं?

मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र से हूं जो मध्यप्रदेश में है। पिछले दिनों में मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। जबलपुर एवं प्रदेश में फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशव्यापी यात्रा पर निकले हैं। गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नीमच जिले के दारू गांव में जब एक बूढ़े किसान ने अपनी व्यथा बताई तो फसल बर्बाद होने से परेशान उस रोते-बिलखते बूढ़े किसान को दिलासा देते हुए मुख्यमंत्रीजी ने कहा- कि 50 फिसदी बर्बाद फसल को हम 100 फीसदी मानेंगे। हमारे प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी पर 100 रूपये और 50 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषणा की है। जिसके चलते 35 लाख क्विंटल गेहूं खरीदी का रिकार्ड बना है। इसी तरह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन कार्यान्वित योजनाओं में देय अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया है। मिक्चर उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया है और कपास बीज बेचने वाली कंपनियों पर नियंत्रण करने हेतु "मध्यप्रदेश कपास बीज विनियम एवं विक्रय मूल्य निर्धारण विधेयक" विधान सभा में पारित कराया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को बैलचालित एवं हस्तचालित कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 फीसदी टॉपअप अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। जो केन्द्र सरकार के 25 फीसदी अनुमान के अतिरिक्त है। इस तरह मध्यप्रदेश में इन किसानों को कृषि यंत्रों पर 75 फीसदी अनुदान मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसान जो गहरी जुताई करने वाले स्वचालित यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए "हलधर योजना" शुरू की है। इसमें ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर एक हजार रूपये अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए हमारी प्रदेश सरकार प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर 30 प्रतिशत टॉपअप अनुदान दे रही है। किसानों को लेकर सरकारों को ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिए।

मेरे कई साथियों ने पिछली सरकार के वक्त 60 हजार करोड़ रूपये के किसान कर्ज की माफी घोषणा का जिक्र किया। लेकिन वो भूल गए कि उसके कुछ महीने बाद से ही उनके उस दावे की पोल खुल गई थी। इस सदन में कई बार ये बताया जा चुका है कि कैसे वो 60 हजार करोड़ रूपये का लाभ उन मजबूर किसानों को नहीं मिला, जो कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे थे। सुनियोजित तरीके से किसानों के नाम पर कर्ज का घोटाला करने वालों ने इसका फायदा उठाया, नहीं तो क्यों 2007 में भी विदर्भ इलाके में चार हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की।

किसान मात्र कर्ज माफी नहीं चाहता। वो खेती के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहता है। वो खेती के लिए पानी चाहता है। वो उन्नत बीज चाहता है। वो फसल के लिए उर्वरक चाहता है। वो खेती के लिए बिजली चाहता है, जिससे वो सिंचाई कर सके। वो गांव से पास के कस्बे या शहर को जोड़ने वाली सड़क चाहता है।... और यही हमारी सरकारों ने किया।

मैं हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने किसान भाईयों के हालातों को मन में रखते हुए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की थीं। मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी के खेती के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के प्रयासों का कायल हूं, जो किसानें को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि वो किसी भी सरकार के सामने कर्ज माफी के लिए हाथ ना फैलाएं।

हमारी ही सरकार थी, जिसमें देश की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया था, जिससे देश ज्यादा से ज्यादा खेतों तक 12 महीनें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। ये हमारी ही सरकार थी, जिसने सबसे पहले देश के गांवों को राज्यमार्गों और नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" शुरू की थी। हमारी सरकार ने देश के गांवों को देश के व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की कोशिशें की थी, और हम कर रहे हैं, जिससे किसान अपनी उपज पास की मंडी तक ले जा सकें। जिससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सके।

हमारी ही सरकार थी जिसने कृषि फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। हमारी सरकार के वक्त ही किसान कॉलसेंटर शुरू किया। जिससे किसान खेती से जुड़ी अपनी परेशानियों को लकर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन ले सके।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने "रवाइल हेल्थ कार्ड" की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि अब हमारे किसानों को मृदा जांच की सुविधा दिलाई जाएगी और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने इसका आसान रास्ता भी बताया। कैसे कृषि विश्विवद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों को किसानों से जोड़ा जाए। कैसे 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों को मृदा जांच का प्रशिक्षण देकर किसानों के लिए मदद का एक नेटवर्क तेयार किया जाए, ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर उसके अनुसार फसल का निर्णय ले सकें।

हमारी सरकार ने हाल में आम बजट में "प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना" की बात की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के हर गांव के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। देश के जल संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से इस तरह उपयोग हो कि सिंचाई के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा मिला सके। ... और इसीलिए आम बजट में मृदा जांच और इस सिंचाई योजना के लिए पांच हजार करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है।

हमारे प्रधानमंत्रीजी ने ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जिससे हमारे गांव का युवा खेती ही नहीं पूरे गांव के विकास में अपना योगदान दे सके।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अब छोटी काश्त के किसानों याने स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले किसानों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।

फसल बीमा योजना के तहत नियमों को इस तरह से निर्धारित किया जाए, जिससे बीमा क्लेम के वक्त किसानों को परेशानी ना हो। जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

साथ ही स्कूलों में कृषि संबंधी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। जिससे देश में बच्चे खेती की आधुनिकतम तकनीक की जानकारियां पा सकें। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के हायर सेकेंडरी छात्रों को विशेष प्रशिक्षण या कृषि संबंधी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिले, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में कृषिगत कौशल विकसित कर सकें।

*श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी **(झंझारपुर):** भारत देश की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन खेती की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सिंचाई, बिजली, खाद की समय पर उपलब्धता, जो समय पर नहीं होता है, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बिजली पम्प के साथ-साथ बाराहमासा नदी जो बहती है, उस पर यदि सुलिशनेट की व्यवस्था हो जाये तो किसानों की आधी समस्या दूर हो जायेगी और वे बिजली के भरोसे नहीं रहेंगे।

मैं झंझारपुर, बिहार से आता हूं। खाद की उपलब्धता हेतु यदि बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर फैक्टरी को सुचारू रूप से चलाया जाये तो खाद की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी। साथ ही किसानों के अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बीच में बिचौलिये लूट लेते हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है और सहकारिता के माध्यम से अनाज की खरीद करायी जा रही है, वह बहुत धीमी गति से चल रही है। इन सभी चीजों पर मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसी पार्लियामेंट में सन् 1994 में एक डंकेल ड्राफ्ट पास हुआ था, जिसके तहत डेढ़ सौ से ज्यादा शर्तें थीं, जिनमें से तीन-चार मूल शर्तों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान का किसान अपने खेतों में देसी बीज नहीं बोएगा। दूसरा, विदेशी खादों को अपने खेतों में डालेगा। तीसरा यह कि विदेशी हाइब्रिड बीजों का उपयोग करेगा। मान्यवर, उसी के चलते आज विदेशी हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है, जिसको एक बार किसान बोता है, दोबारा अगर बोता है तो इंपोटेंट बीज पैदा होता है और उससे फसल पैदा नहीं होती है। जो विदेशी खाद, हमारे यहां डीएपी जैसी खादें पहले कम रेट पर दी गई और बाद में वह खाद जमीन को एडिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से दो बार जिन खेतों में वह खाद डाली जाती है, दोबारा उस खाद के डाले बगैर फसल पैदा नहीं होती है। यह डीएपी खाद अमरीका की है, लेकिन अमरीका में इसे उपयोग करने पर रोक लगाई गई है, ब्रिटेन के प्रिंस वार्ल्स ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का किसान अपनी खेती को बचाना चाहता है तो उनको डीएपी जैसी खादों का उपयोग हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में डीएपी खाद का उपयोग होता है, जिसकी वजह से लगातार हमारी फसल बेकार होती जा रही है। हमारी भूमि की उर्वरा क्षमता खत्म होती चली जा रही है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी पूरी साजिश है डंकल ड्राफ्ट की और डब्ल्यूटीओ की। जैसे डब्ल्यूटीओ ने एक पूरी साजिश बनाई है। हमारे देश की जमीन जो पहले बीघा, बिसवा, बिस्वांसी में लिखी जाती थी, डब्ल्यूटीओ के दबाव में हमारे यहाँ उसे हेक्टेअर में दर्ज कराकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फार्मिंग कराने की ऐसी एक पूरी साजिश है और उसी साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ अगर देशी बीज खत्म हो जाएगा, तो हम पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। वे बीज देंगे, तब हम बोएंगे, अगर वे बीज नहीं देंगे तो हमारे खेतों में फसलें नहीं होंगी।

इसलिए हमारी सरकार से माँग है, नम्बर एक- चूंकि यहाँ पेटेंट कानून भी इसी पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है, जो विदेशी हाईब्रिड बीज हैं, जो विदेशी खादें हैं, उनको हम अपने देश में नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीएपी जैसी फैरलल खाद के बराबर एक बेहतर उर्वरक खाद हमारे देश में सरकार की तरफ से बननी चाहिए। नम्बर दो- ऐसे उन्नतशील बीज हमारे देश में बनने चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बनें। हम विदेशी कारपोरेट घरानों के बीजों पर और विदेशी खादों पर निर्भर न हों। इसकी वजह से हमारे देश में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह तमाम चीजों में जो नकली कीटनाशक दवाएं दी जा रही हैं, उनकी वजह से हमारी फसलें ठीक तरह से पैदा नहीं होती हैं, बल्कि उनमें नुकसान भी होता है।

महोदय, मैं मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ का रहने वाला हूं। मेरे यहां आम की फसल बहुत होती है। पूरे देश और दुनिया में मलिहाबाद आम के मामले में प्रसिद्ध है। जो नकली दवाएं हैं, उनके कारण वहां आम की फसल बेहतर तरीके से नहीं होती है। वहां कोई भी निर्यात केन्द्र आम का नहीं खोला गया, जिससे वहां का किसान अपने आम को विदेश में भेज सके और उसे उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को कोई लाभ देने का काम नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसानों को बेहतर तरीके से सुविधाएं देनी होंगी।...(व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समय अतिवर्षा की वजह से फसल बर्बाद हुई, इसलिए किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, किसानों की सिंचाई का पैसा माफ किया जाना चाहिए। किसान की जो फसल खराब हुई है, उसे उसका मुआवजा देना चाहिए। किसानों को अच्छी फसल पैदा करने के लिए 24 घंटे बिजली नःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा वन विभाग की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस जमीन का भूमिहीन लोगों में आबंटन करना चाहिए, जिससे उन लोगों का इसका फायदा मिल सके। अगर इस तरीके के काम कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तरीके से किसानों का हित होगा। किसानों के हित के लिए फिर एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि डब्ल्यूटीओ की ऐसी साजिश को, इस देश के किसानों की फसल को ले लेने की जो साजिश है, उससे बचाने के लिए विदेशी हाईब्रिड बीज और विदेशी खाद पर निश्चित तरीके से रोक लगाई जाए, अन्यथा हमारी कृषि निश्चित तरीके से गुलाम हो जाएगी और हम एक-एक दाने के मोहताज हो जाएंगे और विदेशी लोगों की तरफ हम हाथ फैलाकर देखेंगे कि कब वे हमको अनाज दें और हम जिन्दा रहने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__SHRI P.K. BIJU (ALATHUR) :__ We all know that India lives in village and agriculture is the backbone of our economy. Around 70% rural households dependent on farming as main income source. It is no wonder that "Jai Jawan, Jai Kisan" became a catchy slogan and since 3rd five year plan we laid considerable stress on the agricultural sector. Subsequently, we embarked upon a spate of programme aiming the overall development of the country with agriculture as a main focus. Despite all these efforts and rhetoric, it is a fact that we are still lagging behind in the agriculture sector and the actual tillers of the soil are living in eternal penury. Agriculture is a sector which has been given primacy in every budget speech in the independent India but it is not reflected in the sector when you analyse the state of affairs in the ground level. There has been an upward trend in cases of farmer suicides in Maharashtra, Telangana, Karnataka and Punjab and recently, besides reporting of instances in Gujarat, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and even the so called developed state Kerala.

According to the IB, "the main reason of farmers' suicides can be attributed to both natural and manmade factors". While natural factors like uneven rains, hailstorm, drought and floods adversely affect crop yield, the manmade factors, i.e. pricing policies and inadequate marketing facilities result in post yield losses. The all India report titled 'Spate of Cases of Suicide by Farmers' emphasizes how government relief packages are of limited use as they do not address the plight of farmers who borrow from private moneylenders. Again, it is pointed out that the threat of attachment and fall in the price as the immediate causes of the mishap. Falling prices; crop failure and mounting debts have been identified as reasons behind these incidents. The victims had borrowed from banks, cooperatives and money lenders for their farming operations. But the price crash and crop failure shattered their dreams and they ended their miseries. The policies of the Centre including rise in fertilizer price and subsidy cut have further pushed the farmers into distress. Various programmes of the government did not benefit the farmers.

The newly initiated slew of measures, including support price for agricultural products, one year moratorium on loans and interest concessions are just an eye wash. The moratorium on repayment of loans will not help farmers unless steps are taken to ensure higher price for their products. The interest concession will also not bring relief to many as only few farmers had availed loans from the government institutions . Agriculture land declined to 181.98 mn ha in 2011-2012 from 182.44 mn ha in 2007-08. 85% of all landholdings in country belong to small & marginal farmers. The farmers, who are the backbone of our economy are rendered speechless on the kind of treatment they received from the present government. In the department of agriculture allocations have been reduced from Rs.19,852 in previous year to Rs.1,7004. The amount Rs.5000 crore allocated for

micro-irrigation projects is a paltry sum. Allocation of Rs.8.5 lakh crore as agriculture loan is another promise. But there is no blue print for finding out the resources. It is also worth noting that majority of the agriculture loan in India are spent on agricultural purpose and even if it is materialized, it will not be reflected in the agricultural sector. It is a fact that around 94% of the existing farm credit corpus goes directly to agro-based industries and not to the farmers. The problem is that the definition of farm credit has expanded over time and now includes retail chains and storage houses that eat into the subsidy. So, the promise of Rs.8.5 lakh crore is nothing but eyewash to boost the business. Announcement of the United National Agriculture Market by replacing Agriculture Marketing Price Committees (APMCs) will not solve the problem of lower price for agriculture produce. There was hardly any relief for a foreseen problem that farmers and consumers might face in the recent future in the form of failure of monsoon or natural calamities. It so appears that the Minister did little more than cosmetics and tokenism. If India's overall GDP as mentioned in economic survey 2014-15 is growing at 7.5% and if agriculture growth rate is limping at 1.1% in FY 2015 should it not be a cause for worry?

Census 2011 data reveal a shrinking farmer population in country, 42% farmers want to quit agriculture if given an alternative : Report of NCRB reveals that 270,940 Indian farmers have taken their lives since 1995. Farmers' suicide due to agrarian reasons increased by 26%. The NSSO date is a shocking eye opener. It states that out of 89.35 million farmer households 43.42 million (48.6%) indebted. Reasons are many including the policy of cutting in budgetary allotment from irrigation, subsidies for fertilizer to inadequate credit facilities.

Kerala is not exception from the national scenario. For example, my constituency, Alathur, where majority are subsisting upon rice cultivation are in either debt trap or leaving paddy cultivation. I request the Ministry of Agriculture to take appropriate step to materlize the right bank canal extension (RBC) project in Chittoor taluk, Palakkad district of Kerala. Minimum support price for rice is the need of the hour. Parallel to these, provisions should be made to easy loans through cooperative credit societies.

I urge the Government that beyond the rhetorical level the government has to take realistic steps to the development of agriculture in our country.

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : भारत कृषि प्रधान देश है और किसान सबसे ज्यादा भगवान भरोसे ही जीता है। किसान इस देश को अन्न मुहैया करता है। वह पसीना बहा कर भी लोगों के लिए अन्न पैदा करता है।

अगर उनके बारे में सोचा जाए तो कृषि कुल मिलाकर कुदरत तथा भगवान की कृपा से ही चलती है। अगर बारिश कम हुई या ज्यादा हुई तो भी किसान ही बर्बाद होता है।

हाल ही में मौसम में आए परिवर्तन की वजह से कमोसमी बारिश हुई। इस बार सिर्फ बारिश नहीं हुई मगर कई राज्यों में ओले पड़े। मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं,वहां गुजरात में भी कई जगहों पर ओले पड़े। पूरे देश के कई प्रदेशों में ओले पड़ने की वजह से किसान को भारी मात्रा में नुकसान सहन करना पड़ा है।

किसान की फसल, जो उसने अपना पसीना एवं लहू बहाने से पैदा की थी, वह सिर्फ एक ही प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो गई है। किसान ने मेहनत के सिवाय, फर्टिलाईजर्स और महंगा बियारण के साथ जो लागत लगाई थी मुनाफा तो जाने दो, मगर उसे लगाई हुई लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है।

जिन्हें हम "जगत का तात" कहते हैं वह किसान आज परेशान है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गुजरात सहित सभी प्रदेशों में कुदरती आपदा के तहत कमोसमी बारिश एवं ओले गिरे हैं, वहां सभी जगहों पर कृषि दलों को भेजा जाए। वहां हुए नुकसान का आंकलन करके किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए तथा उनके ऋणों के ब्याज की माफी की जाए।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से किसान और कृषि, जिसे हमारे देश की रीढ की हड्डी और स्तम्भ कहा जा सकता है पर अपनी बात कहना चाहूँगी। कल मैं सबकी स्पीच सुन रही थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सिर्फ आँकड़ों-आँकड़ों की बात कहते हैं, पक्ष में हों या विपक्ष में हों, सिर्फ आँकड़ों की बात कहते हैं कि हमने जीडीपी इतनी बढ़ाई और आपने जीडीपी इतनी कम की। अगर हम सही मायने में किसान के बारे में सोचना चाहते हैं, दिल से सोचना चाहते हैं और इच्छाशक्ति रखना चाहते हैं तो यह बॉल कभी इस तरफ, कभी उस तरफ से नहीं, बल्कि चाहे जीडीपी बढ़ी या घटी, लेकिन आजादी के बाद से आज तक लगातार किसान का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। जब 70 से 75 परसेंट लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि था, आज मात्र 49 प्रतिशत लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि आ गया है, वह भी मेरे ख्याल से नाममात्र का है। अगर आप किसान से पूछें तो उसकी जो न्यू जनरेशन है, जो युवा लड़का है, अगर उसे कोई भी 6-7 हजार रूपए का अल्टरनेट मिल रहा हो तो वह कभी भी किसानी नहीं करना चाहता है।

मैं आँकड़ों की बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं केवल कुछ बातें कहना चाहती हूँ, जो हम लोग क्षेत्र में जाकर देखते हैं और समझते हैं, उन्हें यहाँ कहना चाहूँगी। हम बहुत सारी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं आज किसानों को मिली हुई हैं, स्टेटवाइज मिली हों, चाहे सेन्टरवाइज मिली हों, चाहे वह बाँस लगाने की सब्सिडी हो, चाहे नर्सरी लगाने की सब्सिडी हो। चाहे मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी हो, चाहे कीटनाशक दवा के लिए सब्सिडी हो, प्रति एकड़ पर स्टेटवाइज़ सब्सिडी है। अगर हम बुकलैट में देखते हैं तो लगता है कि हम लोगों से ज्यादा मेहरबान कोई भी देश किसानों के प्रति नहीं होगा जितना हम हिन्दुस्तान के लोग हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो सारी बातें वहीं धरी की धरी नज़र आती हैं। हम किसानों के बहुत हमदर्द बनते हैं लेकिन आज जो सर्वे कहता है कि 70 प्रतिशत किसानों को सीधे खातों में जो नकदी जमा की योजना है, उनको जानकारी ही नहीं है। 27 परसेंट को भूमि अधिग्रहण क्या है, उसकी जानकारी ही नहीं है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 19 प्रतिशत किसान ही सब्सिडी के पक्ष में है, बाकी किसान सब्सिडी के पक्ष में भी नहीं हैं। 74 प्रतिशत किसानों ने माना है कि खेती संबंधी कोई जानकारी कृषि

विभाग से नहीं मिलती है। 62 प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अनभिज्ञ हैं। ये जो 74 प्रतिशत किसान जो कृषि की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जब हम लोग जाकर हर पंचायत में हर किसान से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि आपको यह सब्सिडी है, आपको यह सब्सिडी है, तो यह देखा जाता है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि केसीसी लोन है, डीज़ल सब्सिडी है, खाद की सब्सिडी है, बीज की सब्सिडी है, यूरिया की सब्सिडी है, लेकिन जब वक्त पर किसान को यह सब चाहिए होता है तो वक्त पर हम कुछ भी नहीं दिला पाते हैं। अभी हाल ही में हम बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कई प्रदेशों में खाद और यूरिया के लिए त्राहिमाम हो रही है। सरेआम कालाबाज़ारी होती है। किसानों का कहना है कि अगर हम सरकारी बीज लेते हैं तो अनाज में, गेहूँ में दाना ही नहीं आता है। अगर हम मार्केट से बीज खरीदकर लाते हैं, तब गेहूँ में दाना आता है। यह हम और आप सरेआम देख रहे हैं। किसान को मेरे ख्याल से सब्सिडी नहीं, बल्कि उसको वक्त पर खाद, वक्त पर क्वालिटी बीज, वक्त पर डीज़ल की सब्सिडी और वक्त पर सिंचाई का साधन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसके अलावा किसान हम लोगों से या किसी सरकार से और कुछ नहीं चाहता है।

महोदय, हम केसीसी लोन की बात करते हैं। बिहार में यह कहा जाता है और किसान अपनी भाषा में बोलता है कि - 'मैडम, जेकरा एक धूर ज़मीन नईछे, ओकरे केसीसी लोन होइछे।' मतलब यह कि जिस किसान या व्यक्ति के पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है, उसको केसीसी लोन होता है, क्योंकि बिचौलिया और लेने वाला व्यक्ति यह जानता है कि हमें वापस नहीं देना है। आधा आप ले लीजिए, आधा हम ले लेंगे, इस तरह से केसीसी लोन मिलता है। जिनको केसीसी लोन चाहिए, उनके द्वारा जब तक 15 से 20 प्रतिशत मैनेजर या बिचौलियों को नहीं दिये जाएंगे, तब तक आपको लोन नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी आपदा आई हो, आप खेती की क्षतिपूर्ति देते हैं, पुनर्वास की क्षतिपूर्ति देते हैं, खेत की बरबादी की क्षतिपूर्ति देते हैं, ओले पड़ने की क्षतिपूर्ति देते हैं, लेकिन किसान को 15-20 परसेंट से ज्यादा नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सिर्फ इस ओर आकर्षित करूँगी कि आप कितनी जीडीपी बढ़ाएँगे, इस दौड़ में पड़ने से बेहतर होगा कि किसान की जो मिनिमम रिक्वायरमैंट है उसको देखें। आज किसान की लेबर कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जितना उपजाने की लागत नहीं है, उससे डबल उसको लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ती है। लोग कहते थे कि जिसके पास पाँच बीघा ज़मीन है, वह ज़मींदार किसान है, लेकिन आज जिनके पास ज्यादा ज़मीन है, वे खेत में अनाज उपजाने से डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उससे डबल उनको लेबर पड़ जाएगी। क्यों नहीं हम लोग उनके एम.एस.पी. को उनकी जो लेबर कॉस्ट आ रही है, जो उनको उपजाने में लगता है, उसके आधार पर हम उनको एम.एस.पी. देते? हर प्रदेश का क्लाइमेट और एनवायर्नमैंट अलग है। उसके अनुसार ही एम.एस.पी. होनी चाहिए।

इतना कहकर मैं पूरे सदन से यह आग्रह करूँगी कि किसान के मामले में, भूमि के मामले में ध्यान दिया जाए।...(व्यवधान) मैं जैविक खाद के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। मेरे क्षेत्र में भीखू मेहता नाम का एक किसान है। यह नहीं है कि किसान नहीं चाहता है कि वह आर्गेनिक खेती करे या जैविक खाद का इस्तेमाल करे क्योंकि आज खेतों की उर्वर क्षमता खत्म होती जा रही है। उस व्यक्ति ने 2 किलो केंचुए से जैविक खाद बनाना शुरू किया और आज उसने 300 ब्रिवस जैविक खाद के बनाए हैं और वहाँ के किसानों को वह देता है। आज ज़रूरत है कि सरकार किसानों को जैविक खाद के उपयोग और उसके फायदे के बारे में बताए। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि जो कैमिकल युक्त खाद आज आ रही है, किसी भी हालत में, सिर्फ उपज बढ़ाने के लिए और हाइब्रिड बढ़ाने के लिए इसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए।

आख़िर क्या वज़ह है कि किसान कहता है कि हम खाने के लिए देसी बीज से अलग उपजाते हैं और बेचने के लिए अलग उपजाते हैं। आज हम लोगों को ज़हर दे रहे हैं। आज इसकी बहुत जरूरत है कि पूरा सदन इसकी चिंता करे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*__SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI) :__ More than 60% of the people in Tamil Nadu are engaged in agriculture and its allied activities for their livelihood.

Farmers are facing problems like deterioration of soil health, water shortage, price hike of fertilizers and other raw materials. This resulted in poor income and thereby farmers find it hard to run the day to day life. To alleviate the suffering of the farmers the Tamil Nadu government is implementing the following programme on the advice of hon. People' Chief Minister Puratchi Thalavi Amma.

1. Free distribution of raw materials and HDFC pipes, distribution of power tillers, tractors, planting machines on subsidy. Further, distribution of planting machines to farmers self help groups on 100% subsidy.

2. Encouraging drip irrigation.

3. Distribution of seeds on subsidy.

4. Free soil Testing and recommending ways for soil health improvement.

5. Development of horticulture through farm gardens.

6. Free electricity for agricultural pump sets.

7. Marketing of Agriculture produce through agriculture market commodities and procurement of paddy through direct purchase centers.

8. Distribution of interest free loan through cooperative societies to farmers for a specified period.

9. Marketing and selling of vegetables produced in the farms through amma thittam.

10. Free distribution of mulch animals and goats to poor farmers.

11. Raising of target for agricultural produce and achieving it.

I request the Central Government to extend Financial Assistance to the Tamil Nadu Government for implementing the above schemes.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल **(दमोह) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं करूणाकरन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए इस चर्चा को सदन में लेकर आए। मैं आपका भी आभारी हूं। आप भी गांव, गरीबों की सुविधाओं के लिए आसंदी के बाद भी प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी सदन के भीतर किसान का मामला आता है, मुझे लगता है कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से प्रस्ताव है कि भारतीय कृषि नीति कैसी हो, इस सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश बड़ा है। देश की भौगोलिक और मौसम की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनेगी, वह कभी भी एक-जैसी नहीं हो सकती। तमिलनाडु में जो होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। जो उत्तराखण्ड में होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। मैं नर्मदा के कछार से आता हूं, जहां एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन बातें कहनी हैं। जो भी नीतियां बनी हैं, उनमें मैं हज़ारों खामियां निकाल सकता हूं। लेकिन, मुझे जिससे सबसे ज्यादा तक़लीफ है, जिसके लिए मैंने कमेटियों में कई बार आपत्ति भी जताई है, वह यह है कि मैंने हमेशा यह कहा है कि आप कैसे हम पर किसी चीज़ को थोप सकते हैं। जीरो बजट खेती हिन्दुस्तान की पुरातन खेती में से है, जिसमें खर्च नहीं आता। लेकिन, आज तक किसी भी सरकार ने जीरो बजट खेती पर न इस सदन में चर्चा की, न उसे कभी पहचान दी और न ही कभी उसको लाभ दिया। दूसरी है जैविक खेती, जिसकी कम से कम इस देश में चर्चा शुरू हुई। कुछ राज्य सरकारों ने उस पर राहत भी दी है। बाद में लगा कि उसमें गुण-दोष हो सकते हैं। इस सदन में आज तक कभी भी इस बात पर निर्णायक चर्चा नहीं हुई कि वास्तव में कौन-से राज्य में यह अनुकूल है और कौन-से राज्य में यह प्रतिकूल है। तीसरी बात यह आती है कि हमने रासायनिक खेती को स्वीकार किया। पूरी दुनिया ने उससे अपने हाथ खींच लिए। हमने सारी सब्सिडी और सारी सुविधाएं देकर किसान को पूरे समय तक दिग्भ्रमित रखा और हमने पूरे समय इस देश के किसानों का नुकसान किया है, यह मेरा इस सदन में खड़े होकर आरोप है। मैं आपसे प्रार्थना करके पूछना चाहता हूं कि हम इन तीन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं?

महोदय, इस देश के भीतर क्षति मूल्यांकन की पद्धति नहीं है। ओला, पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि के किन्हीं भी मामले में किसी भी फसल को, चाहे वह बागवानी की हो, चाहे हमारी फसलें हों, आज भी अनाबारी का कोई पैमाना देश के स्तर पर नहीं है। मैं जब वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था तो मैंने अनाबारी पर प्रश्न लगाया तो मुझसे पूछा गया था कि यह 'अनाबारी' शब्द क्या होता है? यह हो सकता है कि स्थानीय भाषाओं में यह कुछ और हो। हमारी क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? आज़ादी के पहले प्रति एकड़ जो उपज थी, आज उसके 80 गुणा से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन क्षतिपूर्ति देने का हमारा पैमाना नहीं बदला है। हमें क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी? यह एक कारण है। दूसरा कारण बीमा योजना से संबंधित है। जब भी जो भी बीमा योजना आयी, जैसे जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उस समय जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आयी थी, उसको हलके के आधार पर तय किया गया था। पंचायत को इकाई बनाने की बात की गयी थी, लेकिन वह प्रयोग इस देश में सफल नहीं हो पाया। वास्तव में, ओला किसी क्षेत्र को देखकर थोड़े ही न गिरता है। कई बार इससे आधा गांव खत्म हो जाता है और आधा गांव बच जाता है। एक किसान का आधा खेत इससे खत्म हो जाता है और आधा खेत बच जाता है। वह इसके लिए मुआवज़ा कैसे पाएगा? तहसील उसकी इकाई है, ब्लॉक उसकी इकाई है। यह पैमाना गलत है। हम किश्त देते हैं, हमारी राज्य सरकारें किश्त देती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 50 फीसदी पैसा देती है, हरियाणा की सरकार पैसा देती है, लेकिन वहां के किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो पैमाना है, जो आधार है, वह ही गलत है। तीसरी बात यह आती है कि इसे हम कहां देते हैं? हमने जैविक अनाज उपजा लिया। हमने जैविक सब्जी उपजा ली, लेकिन उसके बाद जब उसे विक्रय करने जाएंगे तो जिसकी क़ीमत हमें तीन गुनी मिलनी चाहिए, उस किसान को उसकी एक-तिहाई क़ीमत मिलती है। इसमें मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। ये तीन बातें हैं। हमारे पास कोई कृषि नीति नहीं है। हम किस पद्धति से आकलन करें, किसका उपयोग करें जिसे स्व-विवेक से किसान कर ले? दूसरा तरीका होता है कि हम किस रास्ते पर जाएं? अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाएगा तो उसके मूल्यांकन का तरीका आज तक इस देश में नहीं है? फिर हम अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा कर लें तो हम उसे किसके दरवाजे पर बेचने के लिए जाएं? इसकी क़ीमत कौन तय करेगा, इसका कोई आधार नहीं है। हमें कहां राहत मिलेगी? मुझे आश्चर्य होता है कि इस सदन में बैठकर हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये बातें कुछ चंद मिनटों में नहीं हो सकती हैं। सदन को खुली चर्चा करनी चाहिए कि भारत की कृषि नीति कैसी हो? मैं जिस जिले से आता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन जबलपुर जिले में होता है। वहां कोई सरकारी मंडी नहीं है। किसानों ने खेत किराए पर लेकर उसे मंडी बना लिया है। मटर यहां से मुंबई जाता है। आज भी मटर हमारी अनाज की सूची में नहीं है। यह खामी किसी सरकार भर की नहीं है। किसान कहाँ पर जाए? हम हिन्दुस्तान के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन जबलपुर जिले में मटर जीरो लिखा मिलेगा। कभी आप आँकड़ा उठाकर देखिए, यह जीरो है, क्योंकि वह फसल की सूची में नहीं है। तमिलनाडु का मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड का कह सकता हूँ। मैं जब कमेटी में था, तब मैंने कहा कि बस्तर में चाहे सब्जी पैदा हो, चाहे अनाज पैदा हो, वह जैविक है, लेकिन बस्तर के किसान को बाजार में जो मूल्य तीन रूपए किलो है, उसको एक रूपया भी नहीं मिलता, जिसकी 9 रूपए कीमत खुले बाजार में मिलनी चाहिए, उसे एक रूपया भी कीमत नहीं मिलती है। यह कड़वा सच है। इस पर चर्चा कौन करेगा?

मैं मानता हूँ कि नियम 193 के तहत यह चर्चा सदन में आई है, लेकिन यह समाधानकारक नहीं हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप आसन पर बैठे हुए हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप एक बार अगले सत्र में एक दिन भारतीय कृषि नीति पर चर्चा के लिए रखिए। मैं समझता हूँ कि यह आपकी तरफ से प्रस्ताव आए तो शायद यह सदन किसान के लिए कुछ कर पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इसलिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे आज इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ किसान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठा हुए हर सदस्य यह मानता है कि इस देश के अन्दर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह हमारा किसान है। आज अगर देखें तो बेमौसम बारिश या फिर सूखा किसी को सबसे ज्यादा मारता है तो वह किसान को मारता है। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि 70 परसेंट किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अगर हम उन 70 परसेंट लोगों की बात करें तो वे क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ओर आलीशान बिल्डिंगों में, दफ्तरों में कुर्सी पर बैठकर नौकरी है और दूसरी ओर सर्दी के अंदर दो-चार डिग्री तापमान में खेत में जाना और गर्मियों में 40-45 डिग्री में अपना खेत संवारना किसान का कार्य है। दिन-प्रतिदिन खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है। इसका अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी की जेब पर पड़ता है तो हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित हमारे किसानों की जेब पर पड़ता है।

माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब एनडीए-दो की सरकार बनी तो पूरे देश के अंदर सूखा पड़ा। सरकार द्वारा मुआवजा एनाउंस किया गया, जिसके अंदर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और थोड़ा तूफान संबंधित एरिया आंध्र प्रदेश और ओडिशा का था। वह पैसा प्रदेश सरकारों के पास पहुंच गया, मगर हमारे किसानों के पास नहीं पहुंच पाया। पिछले साल बारिश के कारण हरियाणा प्रदेश का काफी हिस्सा ओलावृष्टि के कारण बारिश से खराब हुआ था, आज तक उसका मुआवजा नहीं पहुंच पाया।

तीन साल पहले का एक वाक्या मैं याद दिलाऊंगा, तब यूपीए की सरकार प्रदेश में थी, केन्द्र में थी। हमारे किसानों के पास मुआवजे के चेक आए। झज्जर, मेवात के किसानों के पास जब चेक आए तो यह बड़ी निंदा की बात है, उन पर 1 रूपए, 2 रूपए, 5 रूपए लिखने का काम सरकार ने किया था। ये एक्सिस बैंक के चेक थे। जब वे किसान एक्सिस बैंक में गए, तो 1,080 रूपए उसे खाता खुलवाने के लिए किसान को देने पड़े, जिससे वह 1 रूपए का चेक खाते में डाल पाए। क्या हमारी सरकार हमारे किसानों के बारे में ऐसा सोचती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस साल भी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हरियाणा प्रदेश का, राजस्थान का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का बहुत बड़ा भाग बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हुआ है। सरकार जरूर विचार कर रही होगी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। जब मुआवजे के आकलन के लिए वह अपनी टीमों को या प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश दे तो मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उसमें सख्त हिदायत देने का काम करे कि जिसकी फसल 25 परसेंट बर्बाद हुई है, उसे 200 या 500 रूपए नहीं, उस फसल के आकलन के तहत कम से कम 7 से 8 हजार रूपए और जिसकी 75 से 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हुई है, उसे कम से कम 25 हजार रूपए मुआवजा केन्द्र सरकार यहां से निर्धारित करके प्रदेश सरकारों को भेजने का काम करे।

जब हम नेशनल डिजास्टर फण्ड की चर्चा करते हैं तो बेमौसम बारिश के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब मैंने डाटा निकाला तो पता चला कि सरकार द्वारा चार सालों के अंदर एन.डी.आर.एफ. के तहत हरियाणा में एक रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में हरियाणा के अंदर कृषि से संबंधित 161 लोगों ने आत्महत्या की है। पिछले 10 सालों में उनकी संख्या दोगुनी हो गयी है, वहां 374 लोगों ने आत्महत्या की है। आज किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, वे आत्महत्या इसलिए करते हैं कि हमारे बैंक उनके ऊपर दिन-प्रतिदिन कर्जा डालते हैं, उनकी जमीन को कुर्क करने का काम करते हैं।

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करें, आज तक हमारे देश के किसानों के ऊपर जितने कर्ज हैं, आपकी सरकार किसान हितैषी है, आपकी सरकार 50 प्रतिशत बोनस देने की बात करती थी, एक कलम से एक बार ऐसा इतिहास रचिए कि हमारे एक-एक किसान का कर्जा माफ करवाने का काम करें, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की जी.डी.पी. का 70 प्रतिशत हिस्सा पहले खेती से आता था, आज वह 14 प्रतिशत आता है। आप एक बार हमारे किसानों के ऊपर से कर्ज हटा कर देखिए, दोबारा हमारे किसान 70 प्रतिशत तो नहीं, मगर उसको 40 प्रतिशत तक पहुंचा कर देश की जी.डी.पी. मे सबसे बड़ा योगदान हमारा कृषि क्षेत्र करेगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना" के तहत किसानों को फायदा पहुंचेगा। मैंने वह स्कीम ऊपर से नीचे तक पढ़ा है। उसके अंदर सरकार द्वारा लिखा गया है कि "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना" के तहत जहां 100 लोगों की रिहायश है, वहां पर सरकार बिजली कनेक्शन देने का काम

करेगी। किसान 100 की तादाद में खेतों में नहीं रहते हैं, वे 2 की तादाद में रहते हैं। आप माननीय पावर मिनिस्टर जी से बात कर "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना" के माध्यम से हर खेत में, चाहे वहां एक आदमी रहता हो, उसके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, तब हमारे किसान मानेंगे कि आपकी सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सोचने का काम किया है।

हम लिंकेजेज ऑफ रिवर्स की बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था। अगर आज सरकार लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए ग्रान्ट देने का काम करेगी तो 10 साल बाद हमारे किसानों को उसका फायदा मिलेगा।

मैं दोबारा आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से मिलकर आग्रह करें कि आपकी सरकार स्पेशल ग्रान्ट लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए दें। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया, लेकिन बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में जो देखने को मिला है उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वह पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, किसानों के लिए सभी चिन्तित हैं और किसानों के मुद्दों पर, उनकी भलाई के लिए एक मत दिखाई पड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जितनी योजनायें बनायी हैं, उनका लाभ अब तक किसानों को 67 वÂ◌ा◌ा◌ें में नहीं मिला है, वह लाभ आगे मिलने की उम्मीद जगी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कृÂ◌ि◌ा के क्षेत्र में किसानों की कठिनाइयां समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किये हैं। आजादी के 67 वÂ◌ा◌न बीत गये हैं। किसानों की कठिनाइयां अभी तक समाप्त नहीं हुयी हैं। किसान जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, आज उनका पेट ठीक से नहीं भर पाता है। उनके बच्चों की पढ़ाई में कठिनाइयां आती हैं। अगर किसान के परिवार में कोई बीमार पड़ जाय तो उनके पास कर्ज लेकर इलाज कराने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है।

<u>13.00 hrs</u>

किसान की बेटी के हाथ पीले हों, कितने अरमान संजोकर वह अपनी बेटी की शादी तय करता है। अगर उसकी फसल मारी गई तो उसकी उस वर्ष की उम्मीद भी मिट जाती है। वर्तमान में ओला पड़ा, अति वृष्टि हुई, किसानों को नुकसान हुआ, न जाने हमारी कितनी बहनों की शादियां तय हुई होंगी कि जब खेत में लगी हुई फसल कटेगी, हमारे घर पैसे आएंगे तो हम अपनी बेटी की शादी बहुत अरमानों के साथ कर सकेंगे। एक सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आजादी से अभी तक सभी सरकारें किसानों के बारे में बातें करती रहीं, लेकिन इस देश के 70 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर हैं या खेती करते हैं, उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अब तक जिन्हें किसानों के बारे में बात करने का अवसर मिला, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने या बजट में प्रावधान करने का अवसर मिला, वे लोग जिम्मेदार होंगे। अब उम्मीद है क्योंकि एक अच्छी सरकार बनी है। एनडीए की सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री की योजनाओं के अनुरूप इस देश का किसान खुशहाल होगा। फिर भी हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

उद्योग में जो पैदा होता है, फैक्ट्रियों में उत्पादन के जो मूल्य निर्धारित होते हैं, उसे उद्योगपति देखता है, लेकिन किसान अपनी कृषि उपज का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता। अगर यह अधिकार किसानों को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका भी कल्याण हो सकता है। आज अगर किसान की उपज का दो भागों में बंटवारा कर दिया जाए तो उससे भी किसान का कल्याण हो सकता है। हम एक फसल का उदाहरण देना चाहेंगे। टमाटर हो, अन्य सब्जियां हों या फल हों, उन्हें दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, यह अति जनसंख्या वाला 125 करोड़ लोगों का देश है। यहां के लोग गरीब हैं, महंगे खाद्य पदार्थ खरीदकर अपने जीवन-यापन को ठीक से नहीं चला सकते। खाद्य पदार्थ के रूप में जो उपयोग किया जा रहा हो, उसका जो एमएसपी निर्धारित हो, वह हो ही, लेकिन किसानों का वह उत्पाद जो फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, कृषि फसल के आधार पर जो सामग्री बनती है,, उस मैटीरियल का कृषि उत्पाद का उद्योग के माध्यम से अलग निर्धारण हो। अगर मार्किट में 10 रुपये किलो आलू है और चिप्स 200 रुपये किलो है तो चिप्स बनाने वाली कम्पनियों को आलू 50, 60, 80 रुपये किलो किसानों से खरीदने की मजबूरी का प्रावधान हो। अगर सरकार ऐसा प्रावधान लाए तो मैं समझता हूं कि किसानों को लाभ होगा।

अंत में, हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिस समय किसानों की फसल खेत में होती है और उस समय कोई व्यापारी खरीदता है, तो वह व्यापारी एक कार्ड ईशू करे। जब किसान के घर पर अनाज नहीं हो, मार्किट से खरीदने की मजबूरी होती है, 10 रुपये किलो बेचता है और 20 रुपये किलो खरीदता है तो कम से कम 25 प्रतिशत उस व्यापारी को बेचे हुए लागत मूल्य पर किसान अभाव की अवधि में खरीद सके। अगर सरकार ऐसा प्रावधान करती है तो मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि में लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित हो। धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे भारत की कृषि क्षेत्र की बात माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं असम के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स से भरा हुआ है। उस क्षेत्र में कृषि की जितनी डैवलपमैंट होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। इसलिए पिछली बार हमने देखा कि मैक्सिमम कृषि परिवार से एक्सट्रीमिस्ट्स बढ़े हैं। जो युथ है, वह कोई उम्मीद नहीं देखता है जिसकी वजह से युथ एक्सट्रिमिज्म में चला गया, बाद में इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ जिंदा हैं। क्या असम के फार्मर के लिए डबल क्रॉपिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती? वहां का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत खराब है। यदि कोई असम का दौरा करेगा तो देखेगा कि वहां का पैडी फील्ड सूखा पड़ा हुआ है, इसमें इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, डबल क्रापिंग का कोई सिस्टम नहीं है। केसीसी लोन दूसरे स्टेटों में मिल रहे हैं लेकिन असम में केसीसी लोन देने में बैंक अनिच्छा दिखा रहा है। खासकर नामरूप कॉरपोरेशन फर्टिलाइजर भी ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा सका है। केमिकल फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिल रही है वह फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर को बेनिफिट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ दिन पहले असम गए थे, वहां का अनोमॉली उन्होंने देखा, लेकिन जो मैकनिज्म होना चाहिए वह वहां नहीं है, असम गवर्नमेंट के पास इसके लिए प्रावधान है लेकिन फार्मर तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं पवित्र सदन में बोलना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट के लिए आर्गेनिक खाद बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके लिए जो इफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह ठीक नहीं है। नार्थ ईस्ट के बाकी स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन असम में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत इरिगेशन सिस्टम को भी ठीक किया जाए, केसीसी लोन दिया जाए, असम के फार्मर के पास ज्यादा जमीन नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उसे किया जाए। अभी एक क्रॉपिंग की व्यवस्था है, हम लोग केवल राइस के उत्पादन में ही व्यस्त हैं, बाद में मैक्सिमम चीजें बाकी स्टेट से ज्यादा दाम देकर मंगाते हैं, इससे जीने में कठिनाई भी हो रही है, स्टेट मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। असम के कृषि क्षेत्र को माइक्रूटली देखना चाहिए, माइक्रो लेबल पर जाना चाहिए। वहां पर क्या असुविधा है, इसे देखना चाहिए। वहां का 18 लाख युथ बेरोजगार है। इन लोगों संस्थापित करने के लिए कृषि से ज्यादा अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहां सेंटेड राइस भी है, उसे बड़ा धान कहते हैं, वह बिस्कुट बनाने में काम आता है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती, जैसे बासमती राइस को असम में जोहा चावल कहते हैं, जोहा ब्रांड को भी पोपुलराइज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए प्रबंधन करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था असम का जो राइस है उसको आर्मी तक पहुंचाएंगे, लेकिन वह स्कीम ठीक तरह से लागू नहीं हो सका। इरिगेशन सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाना जाना चाहिए, आर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए कहा है। मिनिस्टर को केवल गुवाहाटी तक ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रीक्ट्स में भी जाना चाहिए, फ्लड से बहुत डैमेज हुआ है, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसको देखना चाहिए और एक्सपर्ट टीम भेजकर इसको ठीक करने के लिए जो प्रावधान है उसको करना चाहिए। यही अनुरोध करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to say something about jute, mango and litchi, which grow in our country, in my State and also in my district. I am from Murshidabad district which is fully dependent on agriculture; there is no industry in

my district except the *beedi* industry. Most of the farmers are dependent on farming jute and paddy; and in horticulture sector, they produce huge quantities of mango and litchi. In the last Session, I mentioned the problems of jute industry and jute growers. According to the report of the Government jute provides direct employment to about 0.37 million workers and supports the livelihood of around 4 million farm families. This industry also has an export earnings nearly to the tune of Rs. 1880 crore annually.

But I am sorry to say that eight jute mills have been closed and some others are sick on date. Jute growers are not getting Minimum Support Price (MSP) even though the present MSP is not profitable. JCI has some 171 purchasing centres they do not come forward at the time of crisis. They always purchase jute from a middleman who manages Jute Card by unfair means. What will be the result then of declaring MSP? Will declaring MSP be effective? Besides that the Government of India is reducing the usage of jute bags in sugar, fertilizer etc. The agricultural products like potatoes and onions are also not packaged in jute bags. What Bangladesh can do in respect of jute export, why can the Government of India not do that? It is a matter of shame after 67 years of Independence. Now it needs 100 per cent mandatory packaging of food grains, sugar, potatoes and onions by jute bags. Situation now demands quick modernisation of jute mills in West Bengal.

Sir, there is lack of warehouse and cold storages in our State. This year huge quantity of potatoes were produced in West Bengal but due to lack of cold storages and market price, the farmers are facing serious crisis. They are not getting minimum price also. So, they are committing suicides. Till date 104 farmers have committed suicide in the State of West Bengal itself. The Government of West Bengal is not taking any positive steps to prevent these farmers from committing suicides.

Sir, in my district we have mangoes, litchis and some other vegetables but there are no effective food processing centres to process these valuable produce. It is because of these that the farmers are sometimes facing huge losses.

I would like to demand from the Central Government that they should take some fruitful steps to modernise jute industries; set up sufficient number of cold storages; food processing units; and should also arrange for supplying seeds, fertilizers etc. in subsidised rate and also increase the Minimum Support Price of agricultural products.

Thank you.

13.13dfx hrs

13.14 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Agrarian situation in the country – Contd.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अन्तर्गत देश में कृषि की स्थिति के बारे में जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश में बेमौसमी बारिश के कारण काफी प्रदेशों को नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान और किसान आधारित देश है। कृषि और किसानों पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान पिछली सरकारें नहीं दे पायीं, इस कारण देश और किसान का काफी नुकसान हुआ है। देश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ पाया। इसका कारण यह है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे देश को काफी नुकसान हुआ है। आज देश में किसान कम होते जा रहे हैं और मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस ओर ज्यादा ध्यान नही दिया गया, इस कारण ऐसा हुआ।

मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बार किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने कृषि क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। अब तक कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था जिससे देश को नुकसान हुआ था। रोजगार, महंगाई आदि कारणों से लोग मजदूरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस तरफ ध्यान दिए जाने के कारण किसान राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसान की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए ताकि किसान आसानी से खरीद सकें। सूखे और बरसात के कारण हुए नुकसान में दिया गया मुआवज़ा काफी नहीं है। एक कनाल पर 300-400 रुपया दिया जाता है। इसमें तो खेती की मजदूरी भी नहीं निकलती। मेरा कहना है कि कम से कम एक कनाल पर 5000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान तरक्की कर सके और कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दे सके।

महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पिछले दिनों काफी बरसात हुई जिसके कारण धान की फसल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण किसान बहुत परेशान हुआ। इनके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ा। किसान कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। फसल बीमा की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान आगे बढ़ सके।

मैं वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि जो लोग कृषि क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं, न हटें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए यहां अच्छी फसल होनी चाहिए और अच्छा वातावरण बनना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं शुरुआत में मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों के अच्छे और बुरे दिनों की चिंता करती है या नहीं? क्योंकि किसानों के प्यार, प्रेम और सहायता से सरकार बनी है लेकिन जब किसानों की जिंदगी में कष्ट आए, दुख आए तब यह

सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पिछले साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा तब सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार उनके साथ दिखाई नहीं दी। पिछले दिनों बारिश के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसानों के साथ सरकार नहीं तो किसके साथ है? आप देखिए कि कैसे आर्डिनेंसस आ रहे हैं, किस तरह से अलग-अलग बिल पास किए जा रहे हैं। आप किसी भी बिल को देख लीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल देख लीजिए। राज्य सभा में माइन्स और मिनरल्स का बिल पास हुआ, उसे देख लीजिए। साफ साफ दिखाई देता है कि अगर केन्द्र सरकार किसी के साथ खड़ी है तो वह अमीर और ताकतवर के साथ खड़ी है। किसानों के साथ नहीं खड़ी है। अगर किसानों की वास्तव में यह सरकार चिंता करती तो सूखे पीड़ित किसानों के लिए कुछ करती। महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करती। बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कुछ करती। आज देश भर में जो किसान भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ निर्णय लेती लेकिन केन्द्र सरकार इस पर चुप है।

दूसरा प्रश्न मैं सरकार से करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से उत्तर पूर्वांन्चल क्षेत्र के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर पूर्वान्चल क्षेत्रों को अच्छी तरह से पढ़ा है? क्या इस संबंध में अध्ययन किया है? इसके बारे में मेरे मन में कभी कभी एक सोच आती है क्योंकि प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह एक जैविक मिशन लांच करना चाहते हैं और जिस तरीके से वह मार्केटिंग करते हैं, जिस तरीके से वह अपनी बात रखते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो पता चलता कि जैविक के इस कैम्पेन की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। सिक्किम ने बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी कि अगर वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं, असम में भी बहुत पहले ही शुरुआत हो गई थी कि वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं। हर जिले में सौ सौ एकड़ों में जैविक खेती हो, यह बहुत पहले ही आरम्भ हो गया था। प्रधान मंत्री जी का जो दृश्य है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन वह थोड़ा अध्ययन कर लेते और फिर पता चलता कि असम में हम कितना काम कर चुके हैं। My learned from the BJP, an hon. Member from Jorhat, painted a very dismal picture of Assam and the North-East. The traditional method of farming in Assam was paddy. He is right that at one point of time, we would do only single cropping. But over the last decade, we have focussed on Mission Double Cropping. He would be happy to know that because of Mission Double Cropping, this new Central Government has awarded the State Government of Assam for the highest production in pulses. Pulses is not a traditional crop. पल्सेज हम असम में पैदा नहीं करते। हम वहां ज्यादातर धान की खेती करते हैं। लेकिन पिछली यू.पी.ए. सरकार और वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हित में काम करके उनको ट्रेनिंग और विभिन्न सर्विसेज की सहायता आगे बढ़ाकर आज नयी केन्द्र सरकार से भी अवार्ड ले लिया जिससे यह साफ साफ सिद्ध होता है कि काम बहुत आगे बढ़ चुका है और शायद यह भी हो सकता है कि मीन के उत्पादन में भी,...(व्यवधान) मैं युवा सांसद हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gogoi, you address the Chair.

श्री गौरव गोगोई: सर, आज कृषि के मामले में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की आवाज सुनाई देती है। आज पहली बार मेरे भाई कामाख्या जी और मैं उत्तर-पूर्वान्चल के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ी हमारी बात सुनें। मीन के उत्पादन में भी आप लोग खुश होंगे कि जहां पर मीन के उत्पादन में देश भर में बहुत धीरे धीरे गति बढ़ रही है, असम में चार प्रतिशत मीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आज असम में मीन के उत्पादन में वर्ल्ड बैंक के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर यह केन्द्र सरकार असम और पूर्वांचल के बारे में थोड़ा और अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जितनी भी संबंधित ऑरगेनाइजेशंस हों, के.पी.एम.जी. हो, प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स हो, हमारी ही केन्द्र सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स हों, सब कहते हैं कि अगर उत्तर पूर्वांचल में इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो कृषि और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री पर फोकस करना है।

I am happy to tell you that in the field of spices, we often compete with the State of Tamil Nadu. Various reports have now said that the level of organic content found in the spices of Assam is greater than the content found in spices of Tamil Nadu. Therefore, if you focus on spices like turmeric, black pepper, ginger, cardamom -- I am saying this not only for my State of Assam but also for the entire North-East – then we can actually make Assam and the North-East a spices hub from where we can export to our neighbouring countries of Bhutan, Myanmar, Nepal and Bangladesh. If we only focus on production, post-harvest infrastructure and increase the connectivity as well, this can be done. अगर किसान को कुछ मारता है, तो वह ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है। जब बंगलादेश आया है तब से our economic growth has been hampered because transport costs have increased. Therefore, I urge upon the Government to focus on connectivity issues to lower the transport costs. अगर हम रेल के प्राइस कम कर दें, तो किसानों को बहुत लाभ होगा, लेकिन आपने यह भी नहीं किया। आपने फ्रेट प्राइस बढ़ा दिये, यूरिया के प्राइस बढ़ा दिये, इसका नुकसान किसान को होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्री राधा मोहन जी का, उनसे मुझे आशीर्वाद भी मिला है, वे असम भी आये हैं और वे वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट भी लाना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वे यहाँ पर बैठे हैं। मैं मंत्री जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि कोई है, जो कृषि विभाग में कृषि के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में एक नया दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहता है, तो वह मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अध्ययन करके आर.ए.आर.आई के इंस्टिट्यूट को मेरे संसदीय क्षेत्र कलियाबोर में स्थापित करें। वहाँ का पूरा जिला प्रशासन आपके साथ होगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पास में जोरहट में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसे गोलाघाट में करके जो नेबरिंग स्टेट्स जैसे नागालैंड है, उसकी भी आप सहायता कर सकते हैं।

I would like to just make one last request to the Government. I come to the area of tea. Tea comes under the Ministry of Commerce. Domestically, 50 per cent of tea in India is produced by Assam. Now, there is a revolution that has been taking place and 30 per cent of Assam's tea is produced by the small tea growers. It is not that the companies like the TATAs, APPL produced it but the ordinary farmers have started taking to tea. If we deliver the same extension support that we give to horticulture farmers, paddy farmers, it will benefit them. मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो कामाख्या के क्षेत्र से, जो चाय का क्षेत्र है, से आते हैं, वे भी इस बात को रखने में मेरी सहायता करेंगे। If tea can be treated as an agricultural crop, then, 30 per cent of Assam's tea grows who are now small tea growers, if we can give them the same extension support, subsidy support, post-harvest support,. I am telling you that not only Assam but also the entire North-East will benefit out of this. मैं आग्रह करूँगा कि चाय को हम कृषि तरह ही लें, इससे सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा और पूरे देश को लाभ होगा।

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस किसान के बेटे को इस गरिमामयी सदन में किसानों के दर्द को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

हमारे समाज में किसान और कृषि को बहुत ही उच्च दर्जा प्राप्त था। तभी कहा गया था- "उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी भीख निदान।" आखिर कालांतर में क्या वज़ह हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि आज आखिर किसान की यह दुर्दशा हो रही है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे किसान दोहरी मार झेलने के लिए विवश हैं। पूरे देश के किसान एक तरफ खेती-बाड़ी के संसाधन निरंतर महंगे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा का दंश है। हर किसान की इच्छा होती है कि वह खेती के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए। यही सोचकर हर किसान जुगत करके, कर्ज़ लेकर, घर की सारी जमा पूंजी लगाकर समय से खेत तैयार करता है, उन्नत बीज, समय से पानी और खाद की व्यवस्था करता है, लेकिन बे-मौसम की बरसात, सूखा और अन्य दैवीय प्रकोप के कारण जब फसल बर्बाद हो जाती है, तो सरकार ऊँट के मुँह में जीरा जैसी सहायता देकर इतिश्री कर लेती है। एक बार कर्ज में डूबा किसान लगातार उबरने की कोशिश में डूबता ही जाता है, उसे न तो इंश्योरेंस द्वारा और न ही सरकार द्वारा उचित सहायता मिलती है। परिणाम यह होता है कि आत्महत्या जैसी घटनाएँ होने लगती हैं।

दूसरी तरफ, यदि किसान की किस्मत चमक भी गयी और फसल अच्छी हुई तो सरकार की गलत नीतियों के चलते आढ़ती और दलाल लागत से भी बहुत कम कीमत में मजबूर किसान की फसल खरीदने को एकजुट हो जाते हैं। किसान कहीं भी चला जाए, उसे वही कीमत मिलती है, जो उसके द्वारा लगायी गयी लागत से भी कम होती है। मजबूर किसान से अनाज और फलों,सब्जियों को औने-पौने दाम पर खरीदने वाला बिचौलिया मांग और पूर्ति के खेल को साधकर भारी मुनाफा कमाता है और बिना श्रम के वह धनवान बनता जा रहा है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। हमारी सरकार को एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिसमें किसान के हर उपज की कीमत उसकी लागत और मुनाफे को जोड़कर तय की जाए। सरकार सुनिश्चित करे कि यदि

किसान से उसकी उपज आढ़ती या दलाल खरीदते हैं, तो उन्हें मनमाने ढंग से कीमत तय करने की कतई छूट न हो। जब मुनाफे पर अंकुश लगेगा तो जमाखोरी हतोत्साहित होगी, जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएँ मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएं मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य कल किसानों के प्रति बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, इनके शासनकाल में, जब से इनका दल सत्ता में आया है, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसका पूरा बखान करने के लिए आप समय नहीं देंगे, लेकिन एकमात्र उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो सत्ता में आने से पहले किसानों से वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपये कर देंगे। इनसे पहले वहां जो भी सरकारें पदारूढ़ रही हैं, उन्होंने प्रति वर्ष गन्ने का मूल्य कुछ न कुछ बढ़ाने का ही काम किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने 350 रुपये देने का वायदा किया था, लेकिन उससे पहले किसान को जो 280 रुपये मिल रहे थे, उसमें से भी 20 रुपये घटाने का काम इन्होंने किया और जो 260 रुपये देने का वायदा किया गया, उसे भी किसान को आज तक नहीं दिया गया है। इनके शासनकाल में किसान की यह दुर्दशा हो गयी है। अभी कांग्रेस के युवा सांसद किसानों के प्रति चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की बात कही। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो महाराष्ट्र में भी आप ही थे और केन्द्र में भी आप ही थे। आप क्यों किसानों की आत्महत्या पर तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कल से मैं चर्चा के दौरान स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सुन रहा हूं, यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आ गयी है। अगर आपके अंदर किसानों के प्रति इतना ही दर्द था तो वर्ष 2006 से आज तक क्यों उसको ठण्डे बस्ते में डाले हुए हैं? अगर उसको लागू कर देते तो शायद हमारे किसानों को पुनर्जीवन मिल गया होता।

महोदय, कृषि उत्पाद क्रय, बेचने के लिए, कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए एक कारगर नीति की कमी ही हमारे देश के किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण आज किसान जो आलू एक से दो रुपये किलो पर बेचने के लिए मजबूर होता है, वही आलू मात्र दो-तीन महीने बात 20 लेकर 50 रुपये किलो तक बाजार में बिकती है। इसी तरह जो प्याज किसान से दो रुपये किलो खरीद कर जमा की जाती है, वही प्याज खरीद से मात्र दो माह बाद 50 से 80 रुपये किलो बिकती है। एक तरफ तो किसान की कमर टूट जाती है क्योंकि भारी खर्च के बाद भी उत्पाद की सही कीमत उसे नहीं मिलती है, दूसरी तरफ आम जनता महंगाई को लेकर परेशान रहती है। मुनाफा मुट्ठीभर लोगों की जेब में जाता है। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कारगर नीति बनाने की आवश्यकता है। आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूर किसान को कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए साधन मुहैया कराए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याजमुक्त कर्ज दिया जाए, किसान अपना उत्पाद यदि शीत गृहों में रखता है तो उसे उसके खर्च के लिए अग्रिम ऋण दिया जाए, एक निश्चित आबादी के बीच शीत गृहों एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपने उत्पाद कि उस समय बेच सके जब उसे उसकी वाजिब कीमत मिले। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद हमारे किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। श्रावस्ती और बलरामपुर, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, नेपाल की तलहटी में, तराई अंचल में बसा हुआ है, वहां पर आजादी के इतने वर्षों बाद तक शासन करने वाले लोग सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा सके। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो शारदा नहर परियोजना की उन्होंने शुरूआत की थी। बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब हमारे प्रयासों से वह शुरू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि सुचारू रूप से उसे पूर्ण कराकर तराई क्षेत्र के उस असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने का काम किया जाए।

महोदय, मेरा मानना है कि देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक सरकार की हर सफलता फीकी ही रहेगी। किसान और कृषि आधारित उत्पाद एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसान भयमुक्त होगा, निश्चिंत होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़े हुए उत्पादन की सही लागत मिलेगी तो आम जनता को भी उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। इससे मुट्ठीभर दलाल और बेईमान जमाखोरों को अवश्य तकलीफ होगी। हमारी सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि किसानों की खुशहाली के लिए किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए एक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाए और जो भी थोक भाव में कृषि उत्पाद का भण्डारण करता है, उसे खरीद से एक निश्चित मुनाफे तक ही उत्पाद बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। ऐसी नीति किसान और जनता, दोनों के लिए हितकारी होगी।

महोदय, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है कि हर खेत को पानी, हर खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसको सही ढंग से लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

***DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM) :** Farming in India had become a business of loss.

Farmers have gained nothing but the false promises of the rulers of the country.

Farmers are considered the backbone of the economy but the reality is that 70 million farmers are exploited by the middle man of the country.

The incidence of farmers committing suicide is endemic in our country.

On one hand, we are having at tremendous growth in the sectors like IT, etc. on the other hand we still have 50% of the population living below the poverty line.

75% of our population is related to agriculture and allied activities yet the contribution of agriculture to our economy is only 21%.

We have attained an overall growth of 8% but our growth in agricultural sector is not even 4%.

Among the major reasons for the poor condition of our farmers, there is no sufficient financing, hence they loan money with high interests.

Indian farming is monsoon dependent, lack of sufficient rain is a major problem, to overcome this, farmers must be provided with alternative irrigational facilities. Subsidies on the agricultural products must be increased. There must be minimum support price for agricultural products. Government funding for the agricultural sector must be increased. Proper storage facilities for storing the produce must be provided to avoid wastage. Improve over public distribution system. Farmers suicide has increased at an alarming rate.

Agriculture continues to be the most predominant sector of the state economy, as 70 percent of the population is engaged in agriculture and allied activities for their livelihood.

Tamil Nadu has an area of 1.3 lakh sq.km. with a gross cropped area of around 63 L. Ha.

The government policy and objectives have been to ensure stablity in agricultural production and to increase production in sustainable manner to meet the food requirement of growing population and also to meet the raw material needs of agro based industries, thereby providing employment opportunities to the rural population.

Tamil Nadu has all along been one of the states with a creditable performance in agricultural production with the farmers relatively more responsive and receptive to changing technologies and market forces.

The Agricultural Department has taken up the challenge to achieve higher growth rate in agriculture by implementing several development schemes

and also propagation of relevant technologies to step up the production. Intensive integrated farming system, massive wasteland development programme, comprehensive watershed development activities, water management through micro irrigational systems, organic farming, soil health improvement through bio fertilizers including green manure, adoption of integrated nutrient management and integrated pest management technologies are given priority through various programmes, besides crop diversification to fetch better return and value addition to agricultural produce are also given priority to improve the economic status of the farming community.

FINANCIAL ISSUES : To help farmers there are several government schemes through which poor farmers can help themselves through sanction of loans. But due to unawareness or illiteracy they rely heavily of government funds whose credits partially reach the hands of farmers, as large amount of money is being siphoned off in between by public servants.

Also inadequate and unrevised old financial scheme do not meet the needs of costs of cultivation in present time.

KCC's (Kissan Credit Card) main objective is to help farmers and it is very helpful to them. But most farmers are unaware of its benefits. This scheme needs to be popularized.

High interest rates on agriculture term loan also do not offer much help.

Increased social expenditure and lack of access to consumption loans from the banking system leads to an increase of indebtedness to informal sources.

OLD FARMING PRACTICES AND LACK OF INFRASTRUCTURE : Any innovation or development in agricultural filed does not reach the farmers.

There is no or little supply of quality seeds and pesticides to farmers by the state government.

Inadequate power supply hinders the use of conventional pumps.

No guidance for adoption of bio fertilizers organic farming etc.

There is huge price difference in retail price and farm gate price due to which margin money is very less in farming.

Lack of organised market support for horticulture and garden crops result in over dependence on private dealers who never fail to exploit the situation.

Market stablization and intervention should be ensured by the government.

Unavailability of fertilizers testing facilities in districts.

Lack of proper roads and communication facilities.

Sharp decline in water table and unavailability of proper irrigation facilities by the government is forcing the farmers to go for pumping sets at heavy costs.

Too much dependency on monsoon rain also affect the yield.

In Tamil Nadu despite the water disputes like the Cauvery dispute by Karnataka, Mullai Periyaru dispute by Kerala and Palaru dispute by Andhra, our beloved leader Amma has managed the irrigation crises by drip irrigation, sprinklers, issuing free pipelines, free tractors, free seeds, sewing machines, harvest machines, fertilizers and pesticides are in subsided rates and uninterrupted free 3 phase electric power supply for the farmers. Our beloved Amma to uplift the agricultural labourers, widows, destitutes, and people below poverty lines, gave milch cows and four goats to each family in order to safeguard the welfare of the people during the draught season. She also advised to desilt the ponds, tanks and river beds in order to retain more quantities of water. She also established the rain harvest system effectively in Tamil Nadu.

INTER-LINKING OF PENINSULAR RIVERS : The Government of Tamil Nadu has been urging the Government of India to implement the inter-linking of the rivers Mahanadi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery and then onto Gundar as also the diversion of waters of the west flowing rivers of Pamba and Achankovil to Vaipar in Tamil Nadu under the peninsular rivers development component.

While thanking the government of India for having notified the special committee for inter-linking of rivers, as requested by our beloved leaders on 03.06.2014, the other genuine request that all interstate rivers should be nationalised so that the water resources of the country are optimally utilized must be looked into seriously and implemented in a time bound manner.

INTER LINKING OF THE RIVERS WITHIN THE STATE : Government of Tamil Nadu had sought the assistance of Government of India for the implementation of Athikadavu Avinashi flood canal scheme at an estimated cost of Rs.1862 crores.

This may be sanctioned on a priority basis.

Pennaiyar (sathanur dam) palar link scheme and pennaiyar nedungal anicut palar link at an estimated cost of Rs.500 crores may kindly be expedited.

CAUVERY GUNDAR LINK : The proposal to divert the flood waters of Cauvery to draught prone areas by linking the Cauvery vaigai gundar at a cost of Rs.5166 crores which was kept pending and later returned by the previous Central Government may be expedited.

CAUVERY MODERNISATION SCHEME : The river Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu. With the notification of final order of the Cauvery water disputes tribunal the scheme for modernisation of the canal system in the Cauvery basin at a cost of Rs.11,421 crore may be accorded approval.

This request of our beloved leader Puratchi Thalavi Amma on 3.6.2014 is yet to be acceded to. We request this may be approved at the earliest.

*SHRI Y.V.SUBBA REDDY (ONGOLE) : Agriculture plays a pivotal role in the economy of a country and better performance of this sector is vital for inclusive growth, for a developing country like India. Development of agriculture and industrialization are both essential. There is no justification in putting one against another. Planned, balanced and harmonious developing industry and agriculture is essential for employment generation and economic development. Agriculture indebtedness have claimed thousands of lives of farmers because of their suicides.

Land relation in Andhra Pradesh are extremely complicated which have led to serious problems for actual cultivators, unregistered cultivators, tenants and tribal cultivators all face difficulties. There is need to record and registered actual cultivator including tenants and women cultivators.

The farmers suicide has been most virulent in Andhra Pradesh with two thirds of suicides deaths in the state alone. With high cost of cultivation of diminishing productivity and low returns, it become difficult for farmers of the state to withstand crop failures. Since, many farmers depend on crop for their livelihood, the situation becomes miserable when the crop fails or they do not get a remunerative price for their product. In this situation formers are invariably driven to debt trap. A former can repay the loan incurred, if gets reasonable crop and the reasonable price for the produce. Since, both these conditions are rarely met in the state, the loan of the poor farmers get piled up.

The agrarian economy in the state has fallen on such bad times that farmers hardly find buyers for their product. The present marketing structure for agrarian produce in Andhra Pradesh consists of a number of imperfections, leading to disastrous consequences on the price front. Due to a weak economic position in the state, small and medium farmers sell produce immediately after the harvest, when the whole sale price is at its lowest. Thus the farmers lose considerable income in this way.

Agriculture in Andhra Pradesh has not received adequate credit support from formal financial sector, as a result of massive debt burden are evidence to neglect of agriculture by the institutional source of credit, particularly the banking sector. Excessive use of chemical pesticides, erratic rain fall, heavy debt burden and spurious seeds also take a heavy toll of farmers in Andhra Pradesh. Thousands of farmers have committed suicides during the last few years in the state and to add salt on their injury, the government has recognized only couples of hundreds as genuine and eligible for compensation.

Farmers suicide in the Andhra Pradesh and Telangana have risen in the recent months because debt loans have not been waived off as promised by the government in their election manifesto. The state government has not able to fulfill any commitment made during election period. It surprises that in Ananthapur district 44 formers committed suicide. It is also regretted that Reserve Bank has rejected a cabinet proposal for recasting outstanding farm loan.

The extreme agrarian crises and subsequently the distress in Andhra Pradesh achieved notional performance when it resulted in the dramatic increase in suicides by farmers in the region. The difficulties confronting in the state are complex and multifarious and needs a complete relook of economy strategy in the state. If these problems are adequately addressed, many of the problems in the agrarian economy in the state can be traced to the deduction of the government's positive attitudes toward farmers. More than 60% of India's population depend on agrarian livelihood, it is the responsibility of the government both Central and State to genuinely wave of the outstanding loan of farmers in Andhra Pradesh and provide suitable crops and better irrigation facilities and latest agriculture infrastructure to the farmers otherwise thousand of impoverished farmers juggling debt and failed crops will continue commit suicides. We should seriously solve over the problems of farmers immediately to prevent from killing themselves.

The recent Hudhud cyclone damaged most of the crops which resulted the farmers to take loans on high interest to start their livelihood. The cyclone played havoc in the lives of many villages who could not even bear fodder expenses for their cattle. It is sensory that adequate compensation for farmers whose crops were destroyed in this natural calamity, the farmers should also be exempted from paying electricity bills.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir. Agriculture is the backbone of Indian economy; 70 per cent of our population earns its livelihood from agriculture. A majority of farmers of our country is farming for their own consumption. The entire production is largely consumed by the farmers and their families and they do not have any surplus to sell in the market because of small landholdings.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, that more awareness programmes are to be arranged to make the farmers aware about using modern technology to increase their production and to also to make them aware about the seasonal harmful insects so that they can protect their crops. Soil testing is a major issue in this regard so that farmers can know which crop is suitable for which field. Digging of canals and installation of tube wells are required to maintain the water flow to the field. I would like to request the hon. Minister to allot more funds in this respect.

The Government should take initiative to regulate the market so that farmers can get actual price. The Government should kindly look into the matter of insurance policy for farmers to save their lives.

Farmers use chemical fertilizers and pesticides to increase the production. We take poisonous food daily due to that reason. So I would like to request the hon. Minister to take positive measures for use of vermin-compost fertilizer instead of chemical fertilizer to save our lives as well as to protect our environment.

I would like to inform you that hon. Member, Shri Md. Badaruddoza Khan gave a false statement regarding a suicide case in West Bengal. Our Chief Minister Mamata Banerjee has taken various measures to protect the farmers of West Bengal.

Finally, I would like to request the hon. Minister to take measures for upgradation of Kalyani Krishi Vidyalaya so that scientists can make their innovative efforts and take more effective steps for greater interest of the farmers of West Bengal. Thank you.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र **(**बांदा**) :** उपाध्यक्ष महोदय, देश में कृषकों की हालत बहुत ही खराब है। किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। देखा जाए तो पूरे देश में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा विदर्भ और बुंदेलखंड क्षेत्र में है। मैं स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बांदा और चित्रकूट है। यहां पर किसान निश्चितरूप से कराह रहा है और आत्महत्या कर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या घटकर लगभग साढ़े नौ करोड़ हो गई है यानि साढ़े तीन करोड़ लोगों ने किसानी का पेशा छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि हर रोज लगभग 2500 लोग खेती का पेशा छोड़ रहे हैं।

आज गांवों में लोगों को किसानी में कुछ न मिलने के कारण बड़ी संख्या में वहां से लोगों का पलायन हो रहा है और वे शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। हर जगह देखा जाए तो बड़ी मात्रा में लोग ट्रकों, बसों और ट्रेनों के माध्यम से प्रति दिन लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब आदि जगहों पर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। सन् 1995 से लेकर आज तक लगभग तीन लाख लोग देश में आत्महत्या कर चुके हैं। बुंदेलखंड में इसी तिमाही में लगभग 200 लोगों ने आत्महत्या की है। आज जहां किसान का जीडीपी में योगदान 13.7 प्रतिशत रह गया है जो पहले 66 प्रतिशत था। सन् 2001 में कृषि मजदूरों की संख्या जहां 10 करोड़ 68 लाख थी, वहीं 2011 तक वह 14 करोड़ 43 लाख हो गई है। इसका मतलब यह है कि लगभग चार करोड़ किसान आज मजदूर बन गए हैं, इसमें हमारे बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। वहां के कृषकों के पास खुद के लिए खाने को अनाज नहीं है, जबकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वहां इतना भी अन्न पैदा नहीं होता है कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

मान्यवर, किसानों की हालत ऐसी क्यों होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शुरूआत होती है उनके भूमि विवादों से। यदि दीवानी के मुकदमे दायर होते हैं तो वे तीन पीढ़ी तक चलते हैं। चकबंदी की हालत तो यह है कि अगर किसी गांव में चकबंदी हो जाती है तो वहां लोग कहते हैं कि डकैती पड़ने की जरूरत नहीं है, वहां किसान अपने आप बदहाल हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की नीति बनायी जानी चाहिए जिससे भूमि विवादों का शीघ्र निबटान हो, चकबंदी के मुकदमों का शीघ्र निबटान हो, ऐसी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जमीन की मिट्टी का परीक्षण केन्द्र बना कर उन्होंने काम किया है, उससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

मान्यवर, अगर किसान को पानी मिल जाए तो वह खुशहाल हो सकता है। हर खेत को पानी देने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गयी है, वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसको यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है। मान्यवर आज यह देखने में आता है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि हमारे बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। बुंदेलखंड और मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देकर ट्यूबवेल लगाए जाने चाहिए। वहां जो नदियां हैं, उनसे पानी लिफ्ट की योजना बना कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, हमारे कृषि राज्य मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विचित्र नियम है कि साढ़े सात हॉर्स पावर से नीचे के बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं। जबकि सिंचाई के लिए दो से ढाई हॉर्स पावर की मोटर सिंचाई के लिए लगाई जाती है, क्योंकि वहां छोटे-छोटे कृषक हैं, लेकिन उनको पैसा साढ़े सात हॉर्स पावर का देना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी जितनी मोटर की क्षमता हो, जितनी वह सिंचाई करे, उसको उतना ही पैसा देना पड़े, जिससे उसकी कृषि लागत न बढ़े।

मान्यवर, कृषि के लिए ऋण वितरण शिविर लगा कर किसान को पैसा बांटना चाहिए। हमारे यहां बिना दस परसेंट कमीशन लिए बिना किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनके लिए शिविर लगा कर ऋण वितरण किया जाना चाहिए। कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों पर ऋण की दरें बहुत ज्यादा हैं। मेरी मांग है कि इसके लिए किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वहा जीरो प्रतिशत पर सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाता है। हमारी सरकार को भी इस बारे में

व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। जानवर खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए एक एक्ट बना था, जिसमें पशु क्रूरता एक्ट के कारण जानवरों के कांझी हाउस भी बंद कर दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि अन्ना प्रथा पर सख्ती से रोक लगायी जानी चाहिए। पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन उनको खुले घूमने की छूट नहीं होनी चाहिए जिससे वे किसानों का नुकसान न कर सकें।

मान्यवर, मार्च के महीने में बार बार बारिश और अतिवृष्टि हुई है। अभी अतिवृष्टि को आपदा नहीं माना जाता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और पाला और ओला की भांति अतिवृष्टि को भी दैवीय आपदा में शामिल करना चाहिए जिससे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। इस तरह का संशोधन बीमा अधिनियम में किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीमा अधिनियम में संशोधन करके एक नियम को हटाना चाहिए कि अगर 50 प्रतिशत से कम नुकसान दिखाया जाता है, क्योंकि बीमा कम्पनियां दबाव डालती हैं, यदि 50 परसेंट से कम नुकसान दिखाया जाता है तो भी सामान्य बीमा की भांति उनके नुकसान की भरपायी की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक और विचित्र नियम है कि साढ़े चार हजार रुपये असिंचित को और 9 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को दिया जाएगा। यह हमारे यहां सात-आठ रुपये बीघा पड़ता है और 1500-1600 रूपये एकड़ पड़ता है। आज कृषि की लागत कितनी आती है, आप यह देख लें, क्योंकि यह नियम तो पता नहीं कब का बना हुआ है? इसलिए इसको बढ़ा कर कम से कम 20 या 25 हजार प्रति हेक्टेयर दिया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज चारगाह नहीं रह गए हैं। इससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन चरागाहों को भी मुक्त कराना चाहिए और पशुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है कि प्रदेश सरकारें बोनस दे देती थीं, लेकिन वहां समर्थन मूल्य वास्तव में बहुत कम है। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें किसानों के हित में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए और समर्थन मूल्य के मामले में किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देना चाहिए। अभी राज्य सरकारें जो बोनस देती हैं, उसे रोकने की कोई गाइडलाइंस खाद्य विभाग से गई है, उसे हटाना चाहिए और राज्य सरकार जिस प्रकार से दो सौ रुपये प्रति क्विंटल देती थी, उसमें राज्य सरकारें भी अलग से बोनस दे सकें और यहां से पर्याप्त समर्थन मूल्य की व्यवस्था हो, जैसे गेहूं है, यह कम से कम दो हजार रुपये क्विंटल होना चाहिए, तभी किसानों की कुछ हालत सुधर सकती है। इसकी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

*श्री राहुल कस्वां (चुरू): आज कृषि क्षेत्र घोर संकट में फंसा हुआ है ऐसे देश में जहां साठ प्रतिशत से अधिक आबादी खेती-किसानी पर निर्भर हो, वहां का किसान बदहाली का जीवन ही व्यतीत नहीं कर रहा है, बल्कि भयावह जीवन जीने को मजबूर है। राष्ट्रीय नूमना सर्वेक्षण संगठन का एक सर्वे सामने आया है, जिसके अनुसार देश के किसानों की हालत बदतर होती जा रही है, लोगों का खेती-बाड़ी से रूझान घट रहा है, यह सर्वे देश में अन्न की पैदावार पर सवालिया निशान लगा रहा है। खेती-किसानी के कारण कर्ज में फंसे किसान न सिर्फ बदहाली का जीवन जी रहे हैं, बल्कि आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं, हर किसान पर औसतन 47000 रूपये का कर्ज है। पिछले दशक में जो सरकारें बनी उसने कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। देश के किसान को प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, कृषि और किसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, इसके लिए अध्ययन करवाने की आवश्यकता है। कृषि पर लागत खर्च बढ़ने से देश के किसान की स्थति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि किसानों के लिए खेती लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है। खेती से किसान का मोहभंग होता जा रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, अगर किसानों को कृषि के प्रति यही बेरूखी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब हम खाद्य असुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएगें, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। देश की आधी से अधिक आबादी की स्थति सुधारे बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आज के हालात में किसानों को परम्परागत फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा। देश में विभिन्न भागों विशेष रूप से राजस्थान में बेमौसम की वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र की सुजानगढ़ तहसील में इसबगोल व जीरा की 100 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। राजगढ़, सरदारशहर व तारानगर के किसानों को ओलावृष्टि से काफी नुकशान हुआ है राजस्थान के किसान को इस आपदा से उभरने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

कृषि लागत मूल्य में वृद्धि को देखते हुए किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे में संशोधन किया जाना चाहिए, उन्हें सिंचाई के लिए सिंग्ल व थ्री फेस बिजली कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनके ऋण के ब्याज और बिजली बिलों को माफ किया जाना चाहिए, राजस्थान सरकार ने काफी राहत देने का काम किया है, मेरी सरकार से मांग है कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए अधिकतम सहायता प्रदान की जाए।

मौजूदा बीमा योजना में काफी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। बीमा के लिए नए सिरे से नीति बनानी चाहिए। प्रीमीयम की 75 प्रतिशत राशि केन्द्र और 25 प्रतिशत राशि राज्य वहन करे एवं बीमा के लिए ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। किसान की हालात में सुधार के लिए मनरेगा को कृषि कार्य में जोड़ना चाहिए, बगैर किसी कन्डीशन के प्रत्येक किसान को पानी संचयन के लिए बड़े कुण्डों व डिग्गीयों का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत करना चाहिए। किसानों को पानी सिंचाई व अन्य सुविधा के लिए सोलर पम्पों पर वर्ष 2014-15 से पूर्व 86 प्रतिशत सब्सिडी थी, जिसे घटाकर 86 से 70 प्रतिशत किया गया है। सौलर पम्पों पर सब्सिडी 86 प्रतिशत रखते हुए उच्च तकनीक के कम कीमत वाले सौलर पम्प उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाये।

दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ निर्धारित किया गया था लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थति में है, इसके बावजूद भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ. जल ही आवंटन कर रहा है, राजस्थान अपने हिस्से के शेष 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिये केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास पंबंधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधानसभा द्वारा समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित कर रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल है। भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेष पीठ का गठन किया जाए। मेरी, सरकार से मांग है कि भारत सरकार, पंजाब सरकार /भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ पानी दिये जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा साथ ही रावी व्यास जल पर प्रेसीडेन्शियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेष पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें।

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हम सभी जानते हैं कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और जब किसान की फसल बाजार में पहुंचती है और उसके क्रय-विक्रय से जो पैसा किसान के पास पहुंचता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमता है और देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश आज देश का किसान बेमौसम के प्राकृतिक संकट से निराश, उदास और हताश है। संकट के इन क्षणों में हमें उनके आंसू पोछने की आवश्यकता है। वहीं उनकी आगे की फसल अच्छी हो, इसके लिए भी उनकी मदद करने की आवश्यकता है जिससे वह भविष्य में मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सके।

प्राकृतिक आपदा का यह संकट केवल दो-चार राज्यों का संकट नहीं है बल्कि यह पूरे देश की पीड़ा के क्षण हैं जिसमें हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशीलता के साथ किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।

आज देश में कृषि क्षेत्र बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है जिससे कृषि निरंतर एक घाटे का सौदा साबित होता रहा है परन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मृदा परीक्षण के द्वारा खेती की सेहत को जानने-समझने का प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है जिससे देश के हर एक खेत के मृदा परीक्षण के द्वारा हम देश में एक नयी कृषि क्रांति की शुरूआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण पहल के लिए उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

इस वर्ष हमारे म0प्र0 में भी इस प्राकृतिक विपदा की मार हमारे किसान भाइयों पर पड़ी है तथा उनके सपनों को गहरा आघात पहुंचा है। इस असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों के साथ-साथ चने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने अपनी लहलहाती फसलों को देखकर अपने मन में सपने संजाये थे कि वे बेटी की शादी करेंगे अथवा बेटे को उचित शिक्षा हेतु किसी अच्छे शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिलाने की आर्थक व्यवस्था करेंगे तथा अपनी कृषि भूमि में इजाफा करने के लिए एक-दो एकड़ जमीन खरीदेंगे। परन्तु इस असामयिक प्राकृतिक आपदा ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

संकट की इस घड़ी में हम सभी को संवेदनशीलता के साथ तथा राजनीति से ऊपर उठकर अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि वे किसानों को इस संकट से निकालने के लिए एक समन्वित नीति और प्रयास की तत्काल पहल करें तथा किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें जिससे किसान को बचाया जा सके।

आज देश में कृषि क्षेत्र के सामने एक दूसरी समस्या परिवारों के निरंतर विघटन की वजह से कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना भी है। इसकी वजह से कृषि की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में मेरा मानना है कि देश में सहकारी खेती को बढ़ावा देकर हम भारत में कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। आज कृषि उपज की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। कुंए तथा ट्यूबवैल का खनन तथा इस तरह की कृषि हेतु किए जा रहे सभी प्रयास व्यय साध्य होते जा रहे हैं। इसके साथ ही देश में अभी भी भण्डारण की भारी कमी है जिसके चलते किसानों का कड़ी मेहनत से उपजाया गया अनाज खुले में पड़े रहकर सड़ जाता है। अब इस तरह की खबर हम अखबार में पढ़ते हैं तो मन को बहुत गहरी पीड़ा होती है।

साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि यंत्रों की खरीद पर किसान की पूरी राजसहायता प्रदान की जाए जिससे वह आधुनिक यंत्रों के माध्यम से खेती करके कृषि पैदावार को बढ़ा सके।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बारिश को प्राकृतिक आपदा के दायरे में शामिल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। देश का किसान जिस तरह विषम परिस्थितियों में खेती-बाड़ी करता है ऐसे में जब उसकी फसल बेमौसम और ओलावृष्टि से तबाह हो जाए तो उसकी दुर्दशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के किसान को इन तमाम समस्याओं से उबारने के लिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए उनको मुआवजा राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मैं अपने गृह राज्य म0प्र. में बेमौसम बारिश के नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे म0प्र0 में एक केन्द्रीय जांच दल भेजकर इस आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन करके उनको राहत स्वरूप तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Thank you, hon. Deputy-Speaker, for giving me this opportunity to speak in this august House on the discussion under Rule 193.

I humbly thank to our people's Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma for giving me the opportunity to be a Parliamentarian in this hon. House.

In my Pollachi Parliamentary Constituency nearly 92,000 hectare area is under coconut cultivation, which is one-fourth of coconut area in Tamil Nadu.

Due to failure of South-West and North-East monsoon, water level has hugely depleted in wells as well as underground. Owing to insufficient water and high cost of maintenance, the coconut farmers are in great crisis and are facing huge losses in the production of copra. So, the production of copra is dwindling in my Parliamentary Constituency.

Even though 2,02,000 Metric Tonnes of copra is being produced, yet the agriculturists cannot survive as the support price of copra fixed by the NAFED is only Rs. 52.50 per kilo whereas in the open market, it is being traded today at around Rs. 125 per kilo.

Hence, there is a need to increase the procurement price by the NAFED to the market level in order to stabilize the demand and supply mechanism. Now, the copra production is not remunerative to the coconut growers. They are, now, finding ways to grow some alternative crops. The present yield of coconut trees is maintained by the growers for more than 15 to 20 years. The coconut cultivation is a long term crop. So, they have no other alternative. Due to monsoon failure, with great hardship, only 50 per cent of the agriculturists are able to maintain their coconut cultivation.

Sir, in the year 2012-13, our people's Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma had given Rs. 1,755 crore as the Drought Relief Package for the non-delta farmers. Of this package, six components were meant for about 17.9 lakh farmers, who had suffered the crop loss of over 50 per cent. The farmers, for their variety of crops, would receive a total compensation of Rs. 835.21 crore. Making an announcement in the Assembly, our people's Chief Minister, hon. Puratachi Thailaivi Amma said that the package was based on the assessment made by a High Level Committee after visiting 18 Districts and interacting with the representatives of farmers and District officials apart from Reports from the District Collectors.

A sum of Rs. 312.89 crore had been earmarked for giving compensation of Rs. 5,000 per acre to 6,25,481 farmers who raised paddy over 6,25,786 acres. As per the Central norms on disaster relief, even small and marginal paddy farmers, experiencing more than 50 per cent crop loss, were entitled only to Rs. 2,429 per acre whereas our people's Chief Minister hon. Puratchi Thalaivi Ammma has also given for long term crops including coconut growing farmers 50,908 numbering would be given Rs. 4,000 per acre. A relief of Rs. 43.35 crore has extended covering 1,08,383 acres in the last year and also set up a Coconut Breeding Centre in Udumalpet constituency by allotting 100 acres of the Government land for the benefit of coconut growers to produce good quality seedlings with the participation of National Coconut Board by taking into consideration long term vision and mission of the coconut cultivators of Tamil Nadu.

Considering these facts, will the present Government headed by Shri Narendra Modi Ji move any proposal to increase the support price of copra to triple the NAFED price or even Rs. 140 per kilogram so as to give relief to the existing coconut growing agriculturists from their present financial crisis? I request the hon. Minister for Agriculture, Shri Radha Mohan Singh Ji to grant adequate compensation to the copra producers and save coconut growers from the present copra price crisis.

I have hundred per cent confidence that Agriculture Minister will do the best for the agriculture welfare of Tamil Nadu to tide over the copra price crisis. It would be very helpful to the coconut growers by allotting any financial assistance from the Agriculture Price Market stabilization fund that was announced in the Budget 2015-16.

Thank you Sir once again for giving me an opportunity and our people's Chief Minister hon. Puratchi Thalaivi Amma for sending me to this august House, the Parliament.

प्रो.चिंतामणि मालवीय **(उज्जैन) :** उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर आई अपदा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, हिंदुस्तान का किसान दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है। व्यवस्था का हर पक्ष उसके शोषण को तैयार खड़ा है, फिर चाहे वह बीज विक्रेता हो, खाद विक्रेता हो, कीटनाशक विक्रेता हो या व्यापारी हो। लेकिन किसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है, जब प्रकृति उसके साथ अन्याय करती है। महोदय, इस बार वर्षा व ओलों से मध्य प्रदेश में अनुमानित एक हज़ार करोड़ रूपये की फसल का नुकसान हुआ है। 3190 गांवों की 2 लाख 44 हज़ार हैक्टेयर जमीन पर वर्षा और ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। महोदय, किसान की आशाओं, अम्मीदों व सपनों पर ओले गिरे हैं। किसी ने बेटी की शादी के सपने पाले थे, किसी ने माँ-बाप को तीर्थ करवाने के सपने पाले थे तो किसी ने पुराना कर्ज अदा करने की उम्मीद की थी। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा कि ये ओले मेरे सीने पर गिरे हैं।

महोदय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सन् 2014-15 को दिए गए आंकड़ों में कृषि लागत मूल्य एवं समर्थन मूल्य को देखें तो इस नुकसान की भयावयता प्रकट होती है। गेहूं की लागत 744 रूपये की है और उसका समर्थन मूल्य 1450 रूपये मात्र है। चना 1902 रूपये है और उसका समर्थन मूल्य मात्र 3175 रूपये है। समर्थन मूल्य इसलिए दिया जाता है ताकि किसानों को उससे कम दामों पर बेचने को मजबूर न होना पड़े। यदि गेहूं की लागत दर 744 रूपये है और 70 प्रतिशत फसल यदि नष्ट हो जाती है तो किसान कर्जदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। बीते छह सालों में कांग्रेस के शासन काल में 66000 किसानों ने आत्महत्या की है और गैर सरकारी आंकड़ें इससे भी अधिक हैं। एसोचैम के मुताबिक भारत के किसान कीटों और बीमारियों के कारण लगभग 50 हज़ार करोड़ रूपये प्रति वर्ष का नुकसान सहता है। इसके अतिरिक्त जैविक बीज बनाने वाली, जेनेरिक बीज बनाने वाली कंपनियां भी किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण हैं। क्योंकि जैविक बीज प्रतिवर्ष खरीदना पड़ता है और खरीदने के बाद यदि इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे किसानों के पास आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से बीज और कीटनाशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, तब से किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी है। पिछले 20 सालों में 2 लाख 90 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। इन किसानों की आत्महत्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए और उन्हें प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 107 प्रतिशत हो गया है। छठे वेतन आयोग के बाद अब सातवें वेतन आयोग की भी तैयारी चल रही है, लेकिन किसान कर्जदार, दुःखी और वैसे ही परेशान है। किसान भी देश की सेवा करता है, बल्कि किसान बड़ी सेवा करता है। अगर कर्मचारी को जोखिम भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, जनजाति क्षेत्र में तैनाती का भत्ता, मैडिकल भत्ता मिलता है तो किसानों का भी अतिरिक्त समर्थन मूल्य की आवश्यकता है और अतिरिक्त समर्थन मूल्य इन स्थितियों में देना चाहिए। मैं सदन से और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार किसानों को अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ""मदर इन्डिया" फिल्म का सूदखोर "सुखी लाला" आज भी हमारे गाँव में अस्तित्व रखता है। आज भी हमारे गाँव की वह हकीकत है। हमारा किसान आज भी कर्ज में जिन्दा रहता है। यदि उस कर्ज से हमने किसान को नहीं बचाया तो निश्चित रूप से गाँव में अपराध बढ़ेंगे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को अतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि वहाँ के किसानों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, the Union Government is promising growth, development and progress of India in the form of increased scope of industrialization, increased chance of foreign investment, establishment of smart cities and increase in the standard of living. But is it for whom? It is beyond my understanding how we can at all thrive, not to think about advancement when 70 per cent of our rural people are depending on agriculture. They, themselves, are starving due to various obstacles in the cultivation system, due to natural calamities, non-availability of fertilizers on time at subsidized rates and not getting the right price. Even if the yield of agriculture is sometimes surplus, there is no uniform system or rule of distribution or export to different States of India or abroad, which can yield much money.

Moreover, West Bengal is full of farmers having only small fields with less production. These small field farmers need extra monetary support and there should be a special provision for that. This is not only for West Bengal but for anywhere in the country. But I am talking about West Bengal. My constituency, Bardhman district of West Bengal, is really a sort of Heaven for agriculture. There is production of, mainly, rice and potatoes in this district and it is first in production of rice in West Bengal. Still this year one or two farmers have committed suicide here and many people are leaving the fields and going in search of services or some other things in the towns. This year potato production is also surplus. Still the farmers are starving due to over production leading to lowering of market price. The farmers even cannot manage to get back their money spent on production due to lack of control or monitoring of market price.

I would request the Union Government to think about the farmers and their agricultural fields more seriously and they should make proper farmer friendly policy. My previous speakers from West Bengal, especially Badaruddoza Khan really said everything about this and also about the people of West Bengal. I am talking about West Bengal. But as you know, agriculture is one thing for which we

cannot depend on other countries for our food production by giving all our fields for industry and for every other thing.

14.00 hrs

But we should make a proper policy for that.

You know that the whole political scenario of West Bengal has changed because of the *do beegha jameen ka kissa.* I urge upon the Government to make a proper farmer-friendly policy, improve yield by scientific methods; fix appropriate market price for farmers and subsidise fertilizers not for special and poorer farmers only but also for all farmers. Steps should be taken for scientific storage and distribution system because yields of

farmers including that of potato get rotten. There should also be an inter-State and foreign export mechanism in case there is a surplus production.

I would conclude my speech by saying that a system should be developed by the Government to inform farmers in advance about the ensuing natural calamities so that preparation could be done in advance to deal with that.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am extremely grateful to you for giving me this opportunity to speak on the plight of the farming community in India today.

We have a lot of discussions in the House about infrastructure, roads and airports and everything. But there is also an alternative thought that India could probably become the food bowl not only for itself but also for half of the world, as has been forecast by the Food and Agriculture Organisation, which is a UN organisation. It says that much more land and much more agriculture will be required to feed the teeming millions if we calculate the present growth of the population of the world.

Sir, I come from the State of Odisha, which is primarily an agriculture dependent State and a majority of our population depends on agriculture for survival. But we find that while four-lane and six-lane highways have been built, many power plants have been built, many mine-based industries are coming into existence, there is least concern or least regard for the needs and the requirements of the farmers.

Sir, you are aware as a seasoned politician that before the late 60's and the early 70's we used to import even our basic necessities like wheat, paddy and other things. PL-480 is one such thing and I remember that it was American wheat. The lingering effects of those imports are still visible when one goes into the hinterlands of India where we find certain seeds, like in Bangalore there is a grass which neither goat nor cow eats. It is called the Congress Grass because it has a white *topi* kind of a thing on the flower. When the pollination takes place, a lot of people get asthmatic attacks and physical problems arise. That is one story. But the story is that we should concentrate on how to become a food bowl for the future of this world and not only for this country. We should make all efforts that we do not fall back into a food deficit country, which was the situation that existed in India prior to the Green Revolution.

Sir, there is a community on the internet called 'Reddit'. I asked people, would they be willing to give suggestions in respect of a discussion going on on farming and agricultural practices? I was surprised that educated young people, both men and women, were forthcoming from their own life experiences regarding agriculture suggesting how many things could be set right with very simple small efforts.

Sir, I will suggest one thing. As you know, different political parties come up with loan waivers to farmers. They come up with free electricity. Then, the Government for years and decades together has been subsidising production of fertilizers and chemicals. Instead of subsidising huge fertiliser plants or waiving off loans or pitying farmers that they are committing suicide because they are so poor, because we always look down on our farmers, is there a method by which we can make farming an attractive proposition or an attractive occupation so that people from cities, those who possess land, will wish to go back to their lands and start farming?

Sir, there are one or two concrete proposals that I would like to give. All subsidies should be stopped to farming. Instead of subsidising the inputs, would the Government be willing to consider that it will take into account the input costs? If a farmer owns a hectare of land, what is his electricity input, what is his fertiliser input, what is the cost he is incurring towards amount of water for which he is paying cess, what is the pesticides input and what is his family's and his labourers' input? You take that and make it a variable component. It should be a State based thing. The Central Government has to mandate the States to work out a figure before every harvest so that you have the basic information on the cost of production of your food grain, whether it is paddy, wheat or anything else. Then, you base your MSP on that cost and double it. Suppose a farmer spends Rs. 500 in a hectare of land as inputs, including his labour cost, your MSP should be such that when his food grains come out, it fetches him Rs. 1,000 for Rs. 500 he has put in. Once you make farming profitable, people would want to go back to the villages. The Minimum Support Price is one thing.

Sir, the other issue is that we are not training our farmers with new technologies. For example, we are wasting a lot of water. Odisha is a State that has 10 per cent of this subcontinent's fresh water resources flowing through its geographical boundaries. There have been surveys - Sir, your State is deprived of water and we have excess of water – which have found that in one good and healthy monsoon in Odisha, the water that comes down, the rain that comes down and goes into the Bay of Bengal, if that could be stored, that would be sufficient to undertake complete farming activities and meet drinking water needs. We could produce electricity as well as supply fresh sweet water to neighbouring States for one whole decade. It means that if we could preserve the water of one rain, for rest of the nine years, we will have no drought, no shortage of drinking water and no problem at all.

In reality, what we find is that we do not harness the water resources. It just washes away the top soil and the farmer is left at the mercy of mother nature every year, without mercy and without any compensation. This idea of compensation to the farmer, I think, is also a very perverted idea. Once you enable the farmer, once you put money in his pockets, not through your sarcastic programmes like JNNURM or MNGREGS, through his activities, then the farmer is rich enough to avail of medical facilities, education facilities and health facilities also. He can do everything on his own. So, the Government has to work out a policy where the farmer is enabled to make money out of his produce. The question this Government has to ask itself is : Are we willing to do that?

It has thought too much about the big people, about the urbanites, about the people who are living in well to do conditions, but now let us give respect back to the farmer, let us put money back in the pockets of the farmer, let farming be a respectable and well considered profession. Let us give that confidence to our farmers. Thank you.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती **(सीकर):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे संक्षिप्त में अपनी बात कहनी है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं दो दिनों से हो रही चर्चा को सुन रहा हूं, माननीय साथियों ने आंकड़ों के साथ अपनी बात कही है। संस्कृत में एक कहावत है : - "नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नष्यति।" पेड़ की पत्तों को तोड़ देंगे तो पते फिर आ जायेंगे, टहनियों को काटेंगे तो टहनियां फिर आ जायेंगी, फल-फूल को तोड़ेंगे तो फल-फूल फिर आ जायेंगे, लेकिन अगर उसकी जड़ को काट दिया गया तो पते, फल और फूल, सब समाप्त हो जायेंगे। इसलिए कृषि देश का मूल है। अगर किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अभी हमारी स्थिति यह है कि कोई आदमी भूखा है, और भूखे आदमी से यहा कहा जाय कि आप रोटी का क्या करेंगे, आप कीमती कपड़े पहन लो, आप सोना ले लो, वह भूखा आदमी सोना, चांदी और

कपड़े नहीं मांगेगा, उसको केवल रोटी चाहिए। विश्व में कोई रोटी देने वाला है तो वे किसान हैं।

माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर कहते हैं कि किसानों की हालत दयनीय है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सरकार किसानों को सब्सिडी देकर उन पर एहसान नहीं करती है। किसान 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमें किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, उस समय हमें 30 करोड़ लोगों के लिए अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था, परन्तु अब हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है कि हम सबको खाने के लिए अनाज मिल जाता है। वर्तमान में देश में ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है कि देश के युवा और किसान खेती से पीछे हटते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 20 सालों में, हमारे सामने वही परिस्थितियां खड़ी हो जायेंगी, जो 50 साल पहले थीं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को कौन-कौन सी सुविधायें दें? अभी ओला वृष्टि हुई है। संसार में जितने भी बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, वे सब छत के नीचे होते हैं, लेकिन, केवल किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जिसका सामान खुले आकाश में पड़ा रहता है। जितना भी बेकार सामान होता है, जैसे कोई मेटल बेकार हो जाता है, तो उसकी नीलामी होती है। लेकिन किसान इस मामले में दुर्भाग्यशाली है कि उनके ताजे सामान को बाज़ार में नीलाम किया जाता है। मैं किसान का बेटा हूं। मैंने खुद खेती की है। मैं पिछले 40 सालों से किसानों के साथ काम करता रहा हूं। मैंने अनेक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। जे.पी. आंदोलन से लेकर अब तक कम से कम दस आंदोलनों में मैं जेल जा चुका हूं। मेरी हमेशा से यह सोच है कि किसान का भला कैसे हो। हमारे जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, उन्हें हमें सक्रिय करना चाहिए। किसानों को तकनीक के अभाव में दिक्कतें आती हैं। मैं अपने साथियों से अभी इस विषय पर बात कर रहा था। जैसे चावल की फसल सबसे अधिक पानी मांगती है। दुनिया में सबसे कम पानी हमारे पास है और भारत में अगर अनाज के अंदर किसी की सर्वाधिक खपत है तो वह चावल की है। चावल की फसल पानी में खड़ी रहती है। उसकी कटाई से बीस दिन पहले चावल के पानी को सुखाते हैं। जब चावल की रोपाई होती है, उस समय से लेकर तीन महीने तक चावल के खेतों में पानी रहता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार के बीज की खोज करनी चाहिए जिससे कम पानी में ही चावल की अधिक पैदावार हो। जैसे जैविक खेती की बात है, इसी तरह से हमें ऐसे बीज का अनुसंधान करना चाहिए जो कम पानी में हो सके।

हमारे सीकर में एक किसान है। उसने एक तकनीक पैदा की है कि एक लीटर पानी के अंदर एक पौधा एक सात तक रह सकता है। उसकी तकनीक के ऊपर हम ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं। बहुत-से स्थानों पर ड्रिप सिंचाई नहीं हो पाती है। हमारी बहुत-सी फसलें इस प्रकार की हैं। गेहूं, चावल में ड्रिप सिंचाई काम नहीं कर सकती है। यह कपास में, उद्यान में काम कर सकती है। हमारा देश ऐसा है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण चारों तरफ अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मेरा निवेदन है कि किसान के मूल्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं स्वयं गौशाला चलाता हूं, अनाज पैदा करता हूं और दूध भी पैदा करता हूं। मेरी गौशाला का दूध 20 रुपये लिटर बिकता है। उसकी छाछ पार्लियामैंट में लगभग 6 रुपये की एक पाव मिलती है। उस दूध में से छाछ, मक्खन निकालकर यहां 24 रुपये में देते हैं, किसान को केवल 20 रुपये लिटर मिलता है। किसान का टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है। मेरे क्षेत्र में टमाटर पैदा होता है। फसल के समय किसान उसे फेंकता है। उसकी सॉस की बोतल शायद 70-80 रुपये में मिलती होगी। इसी तरह आलू 2 रुपये में बिकता है, लेकिन आलू के चिप्स 200 रुपये किलो बिकते हैं। 2 रुपये की चीज को थोड़ा प्रोसैस करके, उसकी पैकेजिंग करके मार्किट में 200 रुपये में बेचा जाता है। उधर किसान लुट रहा है, इधर उपभोक्ता लुट रहा है। किसान का सामान बाजार में बिकता है तो हम उस पर नियंत्रण रखते हैं कि महंगाई न बढ़ जाए। 1976 में सीमेंट का भाव 9 रुपये थैला था अर्थात् 18 रुपये क्विंटल था। गेहूं 100 रुपये क्विंटल था। गेहूं का भाव समर्थन मूल्य देने के बाद केवल 14 गुना बढ़ा है, लेकिन सीमेंट का भाव 20 गुना बढ़ गया। किसान को जो चीज लेनी पड़ती है, उसे भी नियंत्रित करना पड़ेगा। किसान के मूल्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का समन्वय होगा तब उपभोक्ता को लाभ होगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक अभियान प्रारंभ किया। हमारे कई भाई निवेदन कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हुड्डा जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस ने यह किया। यहां शायद 1977 से पहले के सदस्य बैठे होंगे। 1947 से 1977 तक पंचायत को एक साल में 28 रुपये मिलते थे। पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन जनता पार्टी शासन में हुआ। 30 साल तक कांग्रेस ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन नहीं कर पाई। किसान आज भी गांव में रहता है। हमने किसान को पीछे छोड़ा है। किसान के लिए हमें भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे किसानों के लिए परिस्थिति खड़ी होती है कि वे भंडारण कहां करें। इसलिए किसान की सोसाइटी बनाकर जमीन देनी चाहिए ताकि वह मिलकर अपना गोदाम बना सकें। एक किसान के पास एक एकड़ जमीन है। उस एक एकड़ जमीन में वह गोदाम कहां बनाएगा। आज छोटे किसान बहुत हैं। किसान विकास केन्द्र बनाए जाएं, गोदामों की व्यवस्था की जाए, उसका मूल्य तय किया जाए। आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल **(मिर्ज़ापुर):** उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में हमारे देश की संसद में कोयला, खनिज एवं खादान और भूमि अधिग्रहण से संबंधित तमाम कानूनों पर चर्चा हुई। इन तमाम चर्चाओं के दौरान किसान के नाम का प्रयोग एक टोकन रैफरैंस के रूप में बार-बार हुआ, क्योंकि इन तमाम कानूनों का सीधा संबंध किसानों और मजदूरों से है। वर्षों से ऐसे तमाम संबंधित कानूनों की चर्चा के दौरान किसानों के नाम का प्रयोग टोकन रैफरैंस के रूप में होता आ रहा है। फिर भी हमारे देश के किसानों की समस्याएं जस की तस हैं।

मैं सीएसडीएस के सर्वे का उल्लेख करना चाहूंगी जो किसान संगठनों की ओर से 18 राज्यों से सैम्पल लेकर किया गया। हालांकि देश की आबादी को देखते हुए सैम्पल का आकार छोटा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं, वे आश्चर्य चकित करते हैं और किसानों की वस्तु स्थिति से भी हमें अवगत कराते हैं। मैं उन आंकड़ों को इस सदन के सामने रखना चाहूंगी। देश के अंदर 76 प्रतिशत किसान खेती से इतर किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लागत मूल्य की भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य सत्पथी जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि खेती के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उस आकर्षण को हम पुन: कैसे पैदा करें, इसकी नीति बनाने की जरूरत है। 61 प्रतिशत किसान शहरों में बसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं हैं। 70 प्रतिशत किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में नहीं जानता है, 27 प्रतिशत किसान भूमि अधिग्रहण कानून से अनभिज्ञ है, 83 प्रतिशत किसान एफडीआई के बारे में क्लूलेस है, 70 प्रतिशत किसान ने कभी भी किसान कॉल सेंटर से संपर्क नहीं किया, 50 प्रतिशत किसानों का मानना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए बनती हैं लेकिन किसानों तक पहुंचते-पहुंचते पूरे तरीके से वह ध्वस्त हो जाती है। तमाम योजनाएं ऊपर बैठे हुए थिंक टैंक बनाते हैं, लेकिन जब इम्पलिमेन्टेशन की बात आती है, जब किसानों के लिए योजनाएं बनती हैं तो उसमें पंचायतों की राय या सुझाव नहीं लिए जाते हैं इसलिए किसानों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होती। योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी कमियां आती हैं। हम गंडक नदी परियोजना, सोन नहर परियोजना और बाण बाढ़ सागर परियोजना को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिनमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों के लिए ये सारी योजनाएं बनी लेकिन इनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। हाल ही में देश में भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। रबी की फसल पूरी तरह से तहस नहस हो गई। मेरे क्षेत्र मिर्जापुर में चना, मटर, सरसों, अलसी और गेहू सब कुछ तहस-नहस हो गया। हमारे देश के अंदर दैवीय आपदा के कारण फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने मुआवजा नीति बनाई है लेकिन हकीकत यह है कि इस मुआवजा नीति के बेनिफिट्स किसानों तक नहीं पहुंचता। ऐसे तमाम राज्यों में जाकर देखें जहां ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है। वहां राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारी जब मुआयना करने जाते हैं तो जितना नुकसान हुआ है, उससे काफी कम नुकसान दिखाकर वह किसानों को मुआवजे के नाम पर, उनके साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। मुझे अखबारों से यह जानकर खुशी हुई कि हमारे माननीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री प्रभावित राज्यों का स्वयं भ्रमण करने जा रहे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि जो आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जाती है वह किसानों तक कैसे पहुंचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि उसमें पंचायतों के सुझावों को जरूर शामिल किया जाए।

आज देश की एग्रेरियन स्थिति पर इस संसद में चर्चा हो रही है। तमाम सदस्य अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जब स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसने देश के किसानों की स्थिति पर अपनी सिफारिशें बना कर दीं लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर हम वाकई में देश के किसान की स्थिति बदलना चाहते हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर शीघ्र विचार करे।

*श्री अजय मिश्रा टेनी **(खीरी):** इस सदन में जिन विषयों पर चर्चा होती हे, उसमें कृषि व किसान पर अवसर विभिन्न नियमों, प्रश्नों, भाषण के माध्यम से लगातार कृषि व किसान की स्थिति पर चर्चा होती है, परन्तु वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं।

मेरा ऐसा मानना है कि किसान की स्थिति ठीक करने के लिए तथा किसान खुशहाल हो, उसके लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है। किसान की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना, इसके लिए किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना तथा कृषि लागत कम करना, इससे किसान की जेब में पैसा आयेगा, जिससे वह अपनी व अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य को सुरक्षित रख सकेगा।

किसानों को बाढ़ व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हुए नुकसान का मुआवजा फसलों की औसत उपज निकालकर बाजार भाव से दिया जाये तथा उस वर्ष में कृषि ऋण को माफ किया जाये। यदि पूरा

ऋण माफ करना संभव न हो तो कम से कम ब्याज माफ किया जाये तथा उस वर्ष विशेष में कृषि ऋणों की वसूली न की जाये।

कृषि फसलों के नुकसान का अनुमान सर्वे करके एक माह में करने तथा संबंधित जिले के जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाये।

कृषि बीमा का निपटान अन्य क्षेत्रों की तरह व्यावसायिक तरीके से किया जाये।

कृषि लागत कम करने के लिए मृदा परीक्षण, उर्वरक उपलब्ध कराना, बीज आदि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, जिससे लागत भी कम होगी व फसल भी अच्छी होगी, जिसका लाभ किसान को मिलेगा।

पारंपरिक खेती के साथ नकदी, फसल व अन्य रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संभव लघु उद्योगों को शुरू करने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाये, जिससे कृषकों की आय बढ़ेगी तथा कृषि उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, संचार माध्यम विकसित किये जायें, जिससे किसानों का जीवन भी सुखमय होगा तथा सुविधायें प्राप्त होने से जीवन स्तर ऊपर उठने के साथ ही गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त होने से किसानों के बच्चे भी आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान दे सकेंगे तथा समाज की मुख्यधारा में आ सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था ठीक की जाये, जिससे किसानों की सम्पत्ति व सम्मान सुरक्षित रह सके।

कृषि ऋण उपलब्ध कराने के तरीके सरल किये जायें। किसानों को अपनी उपज रखने के लिए मण्डी समिति में गोदाम उपलब्ध कराये जायें तथा यदि किसान को सुविधा उपलब्ध करायी जाये कि वह उक्त गोदामों में अनाज रखकर बाजार भाव का 75 प्रतिशत धन मण्डी समिति से बिना ब्याज के ले सके, जिसके लिए विशेष फंड बनाया जाये। कृषि कार्य में प्रयुक्त डीजल व उर्वरक पर सब्सिडी दी जाये व सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाये।

प्राथमिक सहकारी समितियों में सीमान्त कृषकों को विशेष सुविधा दी जाये।

उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति इस समय की मौजूदा सरकार के कारण बेहद खराब है। धान/गेंहू का मूल्य सरकारी दाम से बहुत कम मिल रहा है। गन्ना सप्लाई के बावजूद पेमेंट नहीं मिल रहा। बाढ़ व प्राकृतिक आपदा का शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा मिलने में वहां वर्षों लग जाते हैं। कानून व्यवस्था अत्यंत खराब है। अतः उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाये, जिससे बाढ़/प्राकृतिक आपदा से निपटने के साथ कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ अन्य रोजगार भी किसानों को उपलब्ध हो सके।

भूमि अधिग्रण विधेयक में संशोधन करके किसानों की स्थिति ठीक करने का गम्भीर प्रयास किया गया, जिसका विरोध राजनैतिक कारणों के चलते किया जा रहा है। मैं भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यह बिल किसानों की भूमि अधिग्रहण करते समय जो कठिनाइयां आती हैं तथा किसानों के पुनर्वास व रोजगार संबधी व्यवस्थाएं हों एवं किसानों व देश के लोगों में इस बिल को लेकर जो शंकाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। इस कारण लाया गया है।

वास्तव में जनवरी 2014 में जबसे यह बिल लागू हुआ, कुछ बदलावों की मांग की जा रही है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व प्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखकर व इस विभाग के पूर्व मंत्री के साथ बैठक में भी इस कानून में बदलाव की मांग की गयी थी उसी को लेकर विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए यह बिल लायी है।

मेरा ऐसा मानना है कि दो तीन मसलों जैसे किसानों की सहमति न होने, अदालत में नहीं जा सकते, समय (योजनाओं को पूरा करने) तथा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थान ऐसे कई कारण बताकर पूरे देश में ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, जैसे मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, वह सारी कृषि भूमि का अधिग्रहण करके उद्योगपतियों को देने जा रही है। यह उनका केवल राजनैतिक विरोध है, तथा उनको भी पता है कि यह बिल पास करना देश के विकास हेतु बहुत आवश्यक है।

हमारी सरकार न तो सारी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है, न किसी निजी उद्योग को कृषि भूमि देने जा रही हे, न किसानों के विरूद्ध कोई नीति बनायेगी। हमारी सरकार किसान, गरीब व मजदूर के हित के विरूद्ध कभी कोई काम नहीं कर सकती। उसको सिद्ध करने के लिए मौजूदा बिल में संशोधन लाये गये हैं, व जिन मुद्दों को लेकर विरोधी दल शोर मचा रहे हैं, उसको लेकर उनकी या तो जानकारी इस संबंध में कम है या वह जानबूझकर विकास को अवरूद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि इस बिल में प्राईवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थानों व सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को परिभाषित करके पूर्व के अधिनियम में जो प्राईवेट संस्थानों को पुनर्वास की जिम्मेदारी में छूट मिलने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया है तथा पूर्व में जेसे यह कहा गया था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकते तथा सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, असत्य है। सभी को माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार ही नहीं अपितु सभी अधिकारी व कर्मचारी जो दोषी हैं, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय में लंबित रहने के कारण जो देरी होती है, के अलावा योजनागत देरी में कोई छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे सभी लोगों को जिनकी भूमि अधिगृहीत की जाती है, को सरकार रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध करायेगी ऐसी व्यवस्था है।

कहने का तात्पर्य यह है कि मौजूदा बिल किसानों के हित में व देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला है। इस बिल में स्पष्ट है कि केवल सरकारी योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजलीघर, सड़क, रेल लाइन, रक्षा जरूरतों आदि के लिए ही भूमि अधिगृहीत की जायेगी तथा वह भूमि भी सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी तथा किसानों को उसकी अधिग्रहीत भूमि व चाहे जिस काम के लिए सरकार ले, मौजूदा बाजार भाव का चारगुना मुआवजा किसाना को दिया जायेगा, जबकि पहले कुछ कार्यों हेतु अधिग्रहीत कृषि भूमि का मुआवजा चार गुना नहीं देना था, परंतु हमारी सरकार ने यह छूट समाप्त कर दी है।

इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जो वादे किये थे उनके प्रति प्रतिबद्ध है, उसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए देश के किसानों, गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए पूरे देश का विकास करने तथा देश में बुनियादी ढांचा खड़ा करने व किसानों, मजदूरों कापुनर्वास करने के साथ-साथ ऐसे कामों में आने वाली कठिनाईयां दूर करने के लिए यह बिल हमारी सरकार लायी है तथा मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको हमारे क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए चुना है।

अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विकासोन्मुखी व देश को आगे बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करें और किसानों को आगे बढ़ने में मदद करें।

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : महोदय, एग्रेरियन इश्यू भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारत की अर्थव्यस्था अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है। मैं यहां एक बिन्दु रखना चाहता हूं, आजादी के बाद भारत में भूमिहीनों की संख्या लगभग 22 परसेंट थी वह अब 56 परसेंट हो गई है, यह एग्रेरियन सिच्यूएशन के लिए अनोखा परिवर्तन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन पर आश्रित हैं, मजदूरी की दरों में कमी होती जा रही है, उनका शोषण हो रहा है, वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अर्बनाइजेशन में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। वह इसी समस्या से उत्पन्न हुई है। भारत सरकार ने तय किया है कि युवाओं का स्कील डेवलप किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाए तभी हम लोकतंत्र को मजबूर कर सकेंगे अन्यथा यदि इस युवा पीढ़ी को रोजगार का अवसर नहीं मिला तो देश दिशाहीन हो जाएगा, देश को कमजोर कर देगा, इसलिए समय रहते शिक्षा और स्कील डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना दिया जाए। भूमिहीन किसानों और मजदूरों के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल सही होगी, तभी भारत मजबूत होगा। धन्यवाद।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कर्मयोगी के ऊपर जो चिंतन हो रहा है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वह कर्मयोगी ऐसा है, जो कर्म करता है, लेकिन उत्पादन होगा या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। उत्पादन की लागत तय करना भी उसके हाथ में नहीं है। उसे भी दूसरे लोग बाजार में तय करते हैं। इसलिए ऐसे किसान के बारे में आपने चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। I will concentrate only on 3 points. The First one is, how can we increase the productivity and production? दूसरा, उत्पादन लागत पर बात करना चाहूंगा और तीसरा, डिजास्टर मैनेजमैंट पर बात करना चाहूंगा। ये तीन बिन्दू हैं, जिन पर I will concentrate.

पहला प्वाइंट प्रोडेक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि देश में उत्पादन नहीं बढ़ा। भारत में चावल का उत्पादन पर हैक्टेयर वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 2011 में दोगुना हो गया। व्हीट में दोगुना हो गया और प्लसेज में तीन गुणा हो गया। लेकिन यदि हम दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कम है। यहां पर माननीय कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ प्वाइंट्स पर विशेष ध्यान दिया जाये। How can we increase our production और प्रोडेक्टिविटी कैसे बढ़ायी जाये? इसमें पहला है कि 35 per cent of land is under insured irrigation. It should be increased now. अब समय आ गया है कि हमें इरीगेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नदियों को आपस में जोड़ना, ड्रीप इरीगेशन, वन ड्राप मोर क्राप, हर खेत को पानी और हर हाथ को हुनूर। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बजट में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाने का प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों के इरीगेशन पर पूरा ध्यान दे रही है। मेरा लोक सभा क्षेत्र अर्ध मरुस्थली क्षेत्र में बसा हुआ है। उसमें वर्ष 2004-05 से ट्यूबवैल्स खुदे हुए हैं। उन्हें वर्ष 2004 से डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। हमारा कहना है कि डार्क जोन को समाप्त किया जाये, क्योंकि when there are tube-wells, the irrigation is already there. इस पर तवज्जो दी जाये। हर खेत में तराई के लिए इसे मनरेगा से जोड़ा जाये। Even those who have slightly more land-holding than the marginal farmers. सीमांत काश्तकारों से, मार्जिनल फार्मर्स से ज्यादा भी है, तो उन्हें इसमें इनक्लूड किया जाये और तालाबों का निर्माण किया जाये।

दूसरा मेन प्वाइंट यह है कि कास्ट प्रोडक्शन कैसे कम की जाये। इसके लिए आपको सब्सिडाइज्ड खाद देनी चाहिए। कल मेरे एक विद्वान साथी सत्यपाल सिंह जी बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पर यूरिया पर आपकी जो 50 परसेंट सब्सिडी जा रही है, that is going into the hands of the private people, not to the farmers. So, kindly look into it. इसी प्रकार से कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जिन पर सब्सिडी कम कर दी गयी है। जैसे प्रिंकलर्स हैं, पम्पसैट्स हैं। इनके ऊपर सब्सिडी 90 परसेंट तक मिल रही थी, लेकिन पिछले दो साल में यह सैंट्रल सब्सिडी 30 परसेंट तक आ गयी है। इसे वापिस किया जाये और सब्सिडी ज्यादा दी जाये। फर्टिलाइजर्स में it should be direct benefit to the transferee, not to the factories or not to the middlemen. It should go directly to the farmers. किसानों के पास भेजी जाये। सब्सिडी का जो पैसा है, वह उन्हें मिले और उनके खातों में ट्रांसफर हो। जन-धन योजना के तहत जो खाते खुले हैं, इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनीफिट टू दी ट्रांसफर ही किया जाये।

तीसरा प्वाइंट डिजास्टर मैनेजमैंट है। इसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमैंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि फार्मर्स टोटली राम और राज के ही भरोसे हैं। ऊपर वाला राम, यानी प्रकृति और राज, यानी स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट। पूरे देश में स्पेशली एम.पी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यू.पी., बिहार आदि सब जगह ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में आपको दो-तीन काम करने पड़ेंगे। Since the Minister of Agriculture is one of the Members of that Committee. माननीय होम मिनिस्टर उनकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें अभी जो रूल्स हैं, they have to change these rules totally. उन रूल्स को सौ प्रतिशत चेंज करना चाहिए। आपने बहुत पुराना आंकलन कर रखा है। आज की तारीख में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हैक्टेयर ज्यादा आ रहा है, उसमें आप कुछ तो काश्तकार को दो। एक ऊंट के मुंह में जीरा जितना दे देते हैं। थोड़ा एनाउंस करके that also does not reach the eligible farmers. इसलिए मेरा अर्ज है कि एनडीआरएफ का पैसा है, उसके रूल्स में संशोधन किया जाये औरप काश्तकार को ढंग से पैसा दिया जाये।

दूसरा, जो डिजास्टर मैनेजमैंट है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय तुरंत एक्शन लिया । राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने रिलीफ भी घोषित कर दिया और आपने सैंटर से टीम भी भेज दी। हम माननीय कृषि मंत्री जी से मिले, वह इस विषय पर चिंतित हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि चिंता वोटों के लिए जता रहे हैं तो यह सही नहीं है। यदि वास्तव में सरकार को काश्तकार की चिंता है, यदि वास्तव में किसान को अन्नदाता मानते हैं तो अन्नदाता की तरह ही रिगार्ड्स दें तब जाकर देश का भला होगा। धन्यवाद।

*श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): दिसम्बर 2014 तथा जनवरी, फरवरी और मार्च 2015 में लगातार बहुत अधिक वर्षा, तेज हवाएं तथा ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों के साथ अन्य सब्जी की फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर आदि को भारी नुकसान हुआ है। पहले ही किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज के समय में किसान के पास छोटी-छोटी जोत हैं। किसान को खाद, डीजल, कीटनाशक दवाईयां बड़े मंहगे भाव पर बाजार से खरीदनी पड़ती है जिससे खेती की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बहुत से किसान तो जमीन को 30-35 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक वर्ष के लिए किराए पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में किसान के लिए प्राकृतिक आपदा उनके पूरे परिवार के लिए भयानक स्थिति पैदा कर देती है।

जिन किसानों के खेत यमुना नदी के किनारे पर हैं वहां पर उनके खेत ऊंचे-नीचे होने के कारण उनकी पैदावार लागत बढ़ जाती है। इस पर उनका खर्चा बहुत अधिक हो जाता है।

पहले कहावत थी कि ""उत्तम खेती, मध्यम व्यापार"" लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हैं। आज तो खेती घाटे का सौदा बन गयी है। यदि किसान की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में हो सकता है कि किसान नुकसान के कारण खेती करना छोड़ दे। इसके पीछे उसकी पूरी मेहनत के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो किसान आज के दिन एक मजदूर बन गया है। वह इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी प्राकृतिक आपदा का शिकार होने पर अपने को ठगा हुआ महसूस करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्रदेश के किसान अधिक मात्रा में गेहूं और चावल की खेती करते हुए देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए इनको फसल उत्पादन पर कीमत पर अधिक बोनस देने का प्रावधान किया जाए। जिससे किसान की आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जा सके। अब माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। जिससे किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध होने पर उत्पादन लागत कम हो सकेगी। यदि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता है तो यह योजना किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होगी।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान को प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर और दयनीय स्थिति को देखते हुए कम से कम 20,000 (बीस हजार रूपया) प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाने का कष्ट करें ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले दो दिन से कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने पिछले दो दिन लगातार सभी वक्ताओं की बात सुनी है, लगभग सभी की इनपुट्स को सुना है। कृषि महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर अन्नदाता की बदहाली, दुर्दशा का जिस तरह से चित्रण प्रकट किया गया, यह चिंताजनक है। यदि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि लगातार स्थिति गिर रही है। इसके कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सदन में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सदन देश के भविष्य की चिंता करने के लिए उत्तरदायी है। सदन का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है कि इस बात की चिंता करे कि भविष्य में, 20-25 साल बाद देश की कृषि की स्थिति कहां जाएगी। इस बात की चिंता करते हुए योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे देश के कृषकों और कृषि की स्थिति सुधर सके।

वर्तमान में देश की कृषि की दुर्दशा के कारणों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि पहला कारण है कि देश के किसान की खेती योग्य जमीन की जोत लगातार जनसंख्या के दबाव की वजह से घटती जा रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह दबाव लगातार बढ़ता जाने वाला है। आज से तीस साल पहले किसान के पास प्रति व्यक्ति जमीन का एक तिहाई हिस्सा वर्तमान में रह गया है, केवल .6 हैक्टेयर जमीन एक किसान के पास प्रति युनिट बची है। जनसंख्या का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी की 25 साल बाद स्थिति बदतर हो जाएगी और आज की तुलना में एक किसान के पास एक-तिहाई जमीन रहने वाली है। इस स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक है कि आज से ही चिंतन आरंभ कर दिया जाए। कृषि क्षेत्र के सामने जो चैलेंजिस हैं, सदन में इनके बारे में बात हुई है। दुनिया में जिन देशों की इकोनामी एग्रीकल्चर पर आधारित है, अगर ऐसे देशों से भारत की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि हमारे देश में कृषि में मैकेनाइजेशन सबसे कम है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। मैकेनाइजेशन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जोत की सीमितता है। कृषि क्षेत्र में बदहाली का कारण यह है कि यहां इरीगेशन नहीं है, इरीगेशन की सुविधाएं नहीं हैं।

महोदय, हम सबने जो चिंता की है, वह जायज है। अभी माननीय सदस्य डार्क जोन का उल्लेख कर रहे थे और वह उस क्षेत्र को डार्क जोन से बाहर निकालने की बात कह रहे थे। मेरा इस पर सोचने का तरीका अलग है। देश में भूजल पर दबाव बढ़ रहा है और इस कारण डार्क जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, अगर हमने इसकी चिंता नहीं की तो आने आने वाली स्थिति और भी भयावह होने वाली है। इजरायल हमारे देश की तरह भौगोलिक परिस्थित जैसा देश है। यहां बरसात की मात्रा हमारे देश में होने वाली बरसात से कुछ कम है। जमीन का पानी राष्ट्रीय संपदा है। मैंने इजरायल में व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वहां हर एक कुएं पर पानी का मीटर लगा हुआ है। एक आदमी जितना पानी विड्रा करता है, उसके लिए कम्पलसरी है कि वह उतना ही पानी रिचार्ज करने के लिए अपने खेत में व्यवस्था करे। इस तरह की व्यवस्था यदि हमने आने वाले समय में नहीं की तो हमारे यहां का भू जल लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विश्व का जो पीने योग्य और कृषि योग्य पानी है, उस पानी का केवल चार प्रतिशत हमारे पास है। दूसरी सिंचाई का साधन नहरें हैं और जिस तरह से नहरें डिस्ट्रैस्ड हैं, जिस तरह से अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इस भारत की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र तरीका है कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना है कि रिवर्स का लिंकेज किया जाए क्योंकि देश के एक तिहाई हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। देश के एक तिहाई हिस्से में, जहां से मैं आता हूं, 50 साल में से 42 साल अकाल पड़ा है। इस स्थिति से उबारने के लिए दोनों तरह की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम शीघ्र इन नदियों को जोड़ें। ये नदियां अगर जुड़ती हैं तो भूजल के स्तर पर भी काबू पाया जा सकता है। चौथी समस्या जो किसान के सामने खड़ी है, वह समस्या यह है कि नयी तकनीकियों का हस्तांतरण नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है। तैब में तकनीकियां विकसित की जा रही होंगी क्योंकि अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां अनेक तरह की शायद रिसर्च भी हो रही होगी, लेकिन तैब की रिसर्च नीचे स्तर पर नहीं आ रही होगी तो इसी के लिए प्रधान मंत्री जी ने पहल की है। उन्होंने जो बात कही है कि हमारी जमीन का परीक्षण होना चाहिए, वह इस देश के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है।

देश का एवरेज रेनफॉल 950 मिलीमीटर है। जिस क्षेत्र के किसानों की जो बात होती है, उन सारे क्षेत्रों का एवरेज यू.पी. और झारखंड का 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां केवल 346 मिलीमीटर बरसात होती है। जब 25 प्रतिशत बरसात कम होती है तो वहां पर सूखा घोषित किया जाता है। 50 प्रतिशत डैफिसिट होता है तो भयंकर अकाल माना जाता है और जब पचास प्रतिशत डैफिसिट होता है तो देश के उन हिस्सों में जहां एवरेज रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, वहां पर 500 और 400 एम.एम. बरसात होती है। केवल वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न बदलने की जरूरत है। यदि पचास प्रतिशत बरसात हो रही है और वहां का किसान गन्ने और चावल की जगह यदि मक्का और गेहूं उगाता है तो उसका सरवाइवल हो सकता है लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां यदि पचास प्रतिशत रेनफॉल डैफिसिट होता है तो वहां पर पीने का पानी महिलाओं को दस दस किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। इस वर्ष हमारी दुर्दशा सबसे भयंकर है।

एक तिहाई जो हिस्सा है, जो 15 नं. नेशनल हाईवे के परे जोधपुर-बाड़मेर-जैसलमेर का जो हिस्सा है, वहां केवल तीन एम.एम बरसात हुई है। हमारी बेटियों की तरह गायें मर रही हैं और एन.डी.आर.एफ के नियमों में संशोधन की बात मैं पिछले एक महीने से, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, तब से कर रहा हूं। लेकिन किसान के क्षेत्र में जब ओले पड़े हैं तब वापस सारा सदन एक सुर होकर इसकी बात कर रहा है।

मेरा क्षेत्र पशुपालन पर आधारित है और यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए विषय हैं। हम पशु और गायों का संरक्षण किये बिना इस देश में खेती की कल्पना नहीं कर सकते। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल से पूरा सदन किसानों की पीड़ा को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने प्रदेश के बारे में बातें उठा रहे हैं। लगभग सभी बातें किसी न किसी माध्यम से आई हैं, हम उनसे अलग कुछ सुझाव माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहते हैं, किसानों की उपज बढ़े, इसके लिए पूर्व सरकारों ने एन.जी.ओ. का सहारा लिया, कंपनियों का सहारा लिया। हमारा कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से सुझाव है कि एन.जी.ओ. और इन कंपनियों को समाप्त करके जो एम.एस.सी. ए.जी. तथा बी.एस.सी. (ए.जी.) के बच्चों को स्टाइपण्ड देकर और पी.एच.डी. पढ़े हुए लड़के हैं, इन सबको पढ़ाई के बाद एक साल के लिए एक-एक ब्लॉक में लगाकर उनसे किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करना चाहिए जिससे वह नौजवान जो पढ़कर निकलता है, वह जमीनी हकीकत को जान सके और किसानों को भी उसकी उपज में बढ़ोतरी कैसे हो, यह बताने का काम कर सकें। उसी के साथ-साथ अगर हम वास्तव में इस देश को किसान प्रधान देश मानते हैं, इस देश में किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार जो दुनिया भर की उपाधियाँ देती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वैसे ही कृषि उत्पादकों को भी सम्मान देने का काम करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ सके, उनका मनोबल बढ़ सके।

मान्यवर, प्रकृति ने हमें गांव-गांव और शहरों में झील, तालाब और पोखर दिया है। शहर के सभी झीलों, तालाबों और पोखरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। गांव में भी लोग निरंतर झीलों और तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि जिन गांवों में झीलों, तालाबों और पोखरों पर कब्जा हुआ है, वहाँ से अतिक्रमण हटाकर और आज तक सैंकड़ों सालों से उनकी तलहटी की सफाई का काम नहीं हुआ है, जिससे उसके माध्यम से रिचार्ज होता है, उससे जलस्तर मेनटेन रखा जा सकता है, वह नहीं है। इसलिए मनरेगा के माध्यम से इसे किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र में लगभग 25-30 झीलें हैं, जो दो-दो किलोमीटर लम्बी हैं। यदि उनकी तलहटी की सफाई हो जाए, उनके बंद छिद्र खुल जाएं तो इस प्रकार से जलस्तर को मेनटेन किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरे देश में यह काम मनरेगा के माध्यम से करना चाहिए। किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे सदन को पीड़ा है।

हम तो अयोध्या के सेवक हैं। प्रभु श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को लात मारकर पूरी दुनिया को एक श्रेष्ठ राज्य देने की कल्पना की। वे गद्दी पर बैठने से पहले 14 वर्षों तक जंगलों में घूमे, गरीबों के बीच में उनकी समस्याओं को खुद देखा और खुद महसूस किया है, उनके जैसा जीवन बिताया, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा सदन जिनकी ज्यादा आयु है और जो रोगी हैं, उनको छोड़कर एक सप्ताह के लिए गांवों में जाने का काम करें और वहाँ से सीधे उनकी पीड़ा को देखकर और महसूस करके आएं, तब इस सदन में चर्चा करें, तो हमें लगता है कि जो योजना

बनेगी, वह श्रेष्ठ योजना बनेगी और उस आधार पर काम होगा। तभी हम जिस पुकार से इस देश के किसानों की भलाई करना चाहते हैं, वह कर सकेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री मुकेश राजपूत **(फर्रूखाबाद):** मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि देश ऋषियों और कृषियों का रहा है हमारे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्य तक ऋषि और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय माता या गाय माता का दूध सर्वप्रथम पिलाया जाता है नामकरण, शिक्षा दीक्षा, विवाह और मृत्यु तक ऋषि व कृषि के बिना संपन्न नहीं होते हैं हमने गौ से गोवर्धन तक मां से धरती माता तक, कुंओं से लेकर नदियों तक, वट वृक्ष से लेकर पीपल, बेल, केला, तुलसी आदि के वृक्षों की पूजा की है। चीटियों से लेकर मछलियों तक को आटा खिलाया तथा पक्षियों से लेकर नाग तक की पूजा की है। ऋषियों, मुनियों की भी पूजा की है शास्त्र से लेकर शस्त्र की भी पूजा की है इससे लगता है सतयुग से लेकर कलयुग तक यह देश ऋषियों व कृषियों का रहा है।

एक अन्नदाता ही सबका भरण पोषण करता है सबकी भूख शांत करने वाला आज फटेहाल है अच्छे अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे मसाले, घी, दूध आदि पैदा करता है सबको पहले खिलाता है और बाद में स्वंय खाता है अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं?

जब देश आज़ाद हुआ था उस समय विकास दर में कृषि की विकास दर 56 प्रतिशत हुआ करती थी लेकिन महोदय आज कृषि विकास दर 56 प्रतिशत से घटकर मात्र 12 प्रतिशत पर आ गई है तीन करोड़ 20 लाख किसान गांव से पलायन करके शहरों, महानगरों में बसने पर मजबूर हो गए हैं तथा तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तब देश की आबादी तीस करोड़ थी लेकिन खाने के लिए गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ता था लेकिन देश का किसान खुशहाल (मालामाल) था। गांव का किसान नौकरी चाकरी करने शहर नहीं जाता था, किसान अपने बेटों को नौकरी पर भी नहीं भेजता था।

हमारे सामने बैठे सीनियर संसद सदस्य आकड़ों का गणित बता रहे थे, कि अड़सठ वर्षों में मैंने यह किया, वो किया। आपने यदि अच्छा किया होता, तो आज तीन लाख किसान आत्महत्या नहीं कर चुके होते। आज किसान शहरों में नौकरी/मजदूरी को मजबूर नहीं होता। किसान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया एक दाना गेहूं खेत में बोता है उसके बदले 80-120 दाने भगवान उसे तीन से चार महीने में दे देता है फिर भी अन्नदाता आज फटेहाल जिंदगी जीने को मजबूर है।

विश्व में अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जिसमें एक किलो कच्चा माल डाला और उसके बदले 1 किलो माल तैयार करके दे सके? फिर भी सभापति महोदय फैक्ट्री वाला मालिक अमीर हो रहा है और किसान एक दाने से 80-120 दाने तीन महीने में तैयार करके भुखमरी की कगार पर है।

कल से बड़ी चर्चा हो रही है 60,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया गया। माननीय सांसद धर्मेन्द्र यादव भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के किसानों का 16000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया , भूमि विकास बैंक का नाम उत्तर प्रदेश में भूमि विनाश बैंक होना चाहिए (जिसमें लाखों किसानों ने अपनी जमीन गवां दी)। भूमि विकास बैंक में काम करने वाले अधिकारियों/कमर्चारियों की जांच होनी चाहिए 90 प्रतिशत एक पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारी अधिकारी हैं। भूमि विकास बैंक में जो भी खातेदार हैं वो भी 90 प्रतिशत एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कर्मचारियों के परिजन या रिश्तेदार के खाते हैं आम किसान उत्तर प्रदेश की भूमि विकास बैंक से एक किलोमीटर दूर से निकलता है।

उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक ऋण ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक आदि बैंकों से अपनी सुविधानुसार ऋण लेता है लेकिन इन बैंकों से ऋण लेने वाले किसान का एक पैसा भी ऋण माफ नहीं हुआ है। उ0प्र0 सरकार बताये क्यों? उत्तर प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है किसानों की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं किसान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन रहे हैं खाद,बीज और बिजली से परेशान है।

कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि इससे देश के किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ होने वाला है क्योंकि टैक्स कम होने से देशी विदेशी उद्योगपति अपना धन नए उद्योगों की स्थापना में लगाएंगे जिसमें देश के कच्चे माल की खपत होगी तथा गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा एवं उपभोक्ताओं को स्वदेशी उत्पाद भी मिलेंगे। इससे देश के किसानों को काफी लाभ होगा।

अड़सठ वर्षों में कृषि उपज पर तो ध्यान हमारी सरकारों व वैज्ञानिकों ने दिया है लेकिन कृषि उत्पाद के वाजिब मूल्य के लिए न तो वैज्ञानिकों ने चिंता की और न ही सरकारों ने चिंता की जिससे आज अन्नदाता फटेहाल है।

माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेत की सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारम्भ की, किसान के उत्पाद के वाजिब मूल्य की चिंता कर रही है उसमें मार्केटिंग की व्यवस्था कर रही है।

मैं अपने वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगा जो फाइव स्टार होटलों में एक कप चाय 350-450 रूपए की पीते हैं कि यदि किसान के उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां, फल कुछ महंगे हो जाए, तो सड़कों पर सदन तक हो हल्ला करते हैं जबकि हो हल्ला नहीं करना चाहिए।

मेरा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे सदन में चर्चा के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास करना चाहिए जिससे किसानों का चौमुखी विकास हो सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल **(मेरठ):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।

यह चर्चा लगभग नौ घंटे से चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कृषि से और किसान से संबंधित कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसकी चर्चा यहाँ पर न हुई हो। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर हमारे माननीय सदस्यों ने अनेक पुकार के सुझाव भी दिये हैं, समस्याओं के हल भी बताये हैं। ऐसा लगता है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सम्पूर्ण सदन का एक मत है। यदि इसका विस्तार सदन के बाहर भी हो जाए, तो निश्चित रूप से आज नहीं, तो कल क्रमशः योजनाओं के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों का और देश का संकट हम दूर कर सकते हैं।

कल श्री धर्मेन्द्र यादव जी यहाँ पर बोल रहे थे। मैं उनका नाम लेकर इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सामूहिक चिन्ता के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का किसान दो साल से अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। न उनको ठीक भुगतान मिलता है, न ही समय पर भुगतान मिलता है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह किसकी चिन्ता है? यदि सम्पूर्ण सदन में चिन्ता व्यक्त करने के बाद भी गन्ने का किसान अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, तो हमें कोई नया मैकेनिज्म लाना चाहिए, ताकि वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। जिससे वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, उसमें अलीगढ़ का एक प्रसंग है कि एक किसान अपने खेत पर गया, उसने अपनी आलू की फसल को देखा जो ओले के कारण समाप्त हो गयी थी, उसे वहीं हार्ट अटैक आया और उसका देहान्त हो गया। इसके बारे में सदन ने विचार किया है, सुझाव दिए हैं क्या हम किसान को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि यदि कभी इस प्रकार का कोई संकट आया तो सारा देश और सरकार उसके साथ खड़ी होंगी, उसे हृदय पर आघात नहीं आना चाहिए कि उसकी यह फसल खराब होने से वह बर्बाद हो गया है। इसके लिए कुछ उपाय हमें सोचने होंगे। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, पानी और बिजली की सुविधा होनी चाहिए, अवसंरचनात्मक ढांचे का सहयोग किसान को मिलना चाहिए। अभी चार-पांच महीने पहले मेरे क्षेत्र की घटना है, वहां पर टमाटर, मिर्च आदि सब्जियां पैदा होती हैं। टमाटर की कीमत उस समय दो रुपये थी, हमारे किसान भाइयों ने टमाटर को खेत में ही छोड़ दिया या उस पर हल चलवा दिया क्योंकि उसकी तोड़ाई का मेहनताना टमाटर की दो रुपये कीमत से भी ज्यादा था। इसी तरह से मिर्च का बाजार में जो दाम था, वह उसकी तोड़ाई के मेहनताने से कम था, इसलिए उस फसल को भी छोड़ दिया गया। हम इस पर चिन्ता करें कि हर वर्ष बहुत सी सब्जियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं, कैसे उनका ठीक दाम किसानों को मिले।

महोदय, हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है। अभी गौरव गोगोई जी असम का अनुभव बता रहे थे कि वहां पर मसालों और दालों का अच्छा उत्पादन हुआ है। हम इन अनुभवों का आपस में तालमेल करें और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, टीम इंडिया बैठकर समग्र रूप से किसानों की समस्याओं पर चिंतन करे। अभी मैं जनवरी के महीने में गांव में था, उस समय उत्तर भारत में बहुत ठण्ड पड़ती है। हमारे यहां बिजली रात में केवल चार घण्टे आती थी, रात के 12 बजे से सुबह चार बजे तक आती थी। किसानों ने मुझसे कहा कि रात में कड़ाके की ठण्ड में खेत में पानी लगाने के लिए उनको जाना पड़ता है। क्या बिजली विभाग के उच्चाधिकारी उस समय को बदल नहीं सकते, मैंने उन अधिकारियों से बात की, उन्होंने समय को बदला, लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि अधिकारियों के ध्यान में यह बात स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आई कि किसान के लिए बिजली का कौन सा समय निर्धारित करें? अभी बारिश होती है, ओला पड़ता है तो हमारे टीवी चैनल्स कहते हैं कि मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। क्या उनको यह बात ध्यान में नहीं आती है या यह संवेदनहीनता है कि जिस मौसम को वे सुहाना बता रहे हैं, उसके कारण इस देश का अन्नदाता बर्बाद हो रहा है? शायद हमारी जो मानसिकता है, उसमें किसान प्राथमिकता पर नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसान को केन्द्र में रखें, तभी इस प्रकार की चिन्ताएं और समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सकेगा और जिस उद्देश्य को लेकर करूणाकरण जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था, वह प्राप्त हो सकेगा। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सम्पूर्ण सदन के सम्मानित सदस्यों ने कृषि और किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तात्कालिक एवं दीर्घकालिक रूप से, दोनों की चर्चा कर ली है, मैं उन बातों की पुनरावृति नहीं करूंगा । लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर दें तो यह भी बताएं कि जैसे पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में असमय बारिश एवं ओले से नुकसान हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य का, जिलों का दौरा आरम्भ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस समस्या को अगर नियम 193 के तहत चर्चा के रूप में स्वीकार किया है तो उसके पीछे हम सभी की चिन्ता थी कि आज खेती अलाभप्रद हो रही है। एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि आज 76 प्रतिशत किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं और खेती में सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। उत्पादन लागत एक चीज है, समर्थन मूल्य दूसरी चीज है और लाभप्रद मूल्य तीसरी चीज है।

जैसे हर व्यापार में लोगों को लाभप्रद मूल्य मिलता है उत्पादन लागत के मुकाबले, आज देश के किसानों के सामने वास्तविकता है कि उन्हें उनके उत्पादन लागत के बदले लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वे कर्ज में फंस जाते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक प्रमुख कारण है कि जब वह बीज, खाद या पानी के लिए किसी बैंक से कर्ज लेता है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए, अगर उसे चुका नहीं पाता है तो फिर मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है। मंत्री जी अगर यह मानते हैं कि आज खेती का रकबा कम हो रहा है, जोत छोटी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पैदावार पर ओलावृष्टि या असामयिक बारिश से नुकसान हो रहा है, तो किसानों की खेती कैसे लाभप्रद बनाई जा सके, किसानों को फिर से कैसे खेती की ओर उन्मुख किया जाए, जो खेती छोड़ चुके हैं, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज खेती का जीडीपी के अंदर 14-15 प्रतिशत तक ही है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि कैसे इतना कम हो गया है, लेकिन वह 65 प्रतिशत से घट गया है। उसे फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर गौर करना चाहिए।

अगर कोई व्यापारी है, वह कोई व्यापार करता है, तो बैंक उसकी लिमिट बनाता है, उसके लिए ओ.डी. का प्रावधान करता है। वह जब चाहे बैंक से अपने व्यापार के सापेक्ष ओ.डी. ले सकता है, लोन ले सकता है। किसान के पास जितनी जमीन है, जितना उसके पास बेनामा या मालिकाना हक है, क्या उस जमीन को महेनजर रखते हुए उसे बैंक की पासबुक दी जाएगी कि किसान भी जब चाहे अगर कोई नुकसान होता है, तो वह ओ.डी. के रूप में या लोन के रूप में अपनी पासबुक से पैसा निकाल सके?

प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की है। उसके पीछे कहीं न कहीं यह निश्चित और निहित उद्देश्य है कि आज प्रधान मंत्री जन धन योजना में वह अपने बैंक खाते को आपरेट करेगा, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्होंने कई योजनाओं को उसमें जोड़ा है, डायरेक्ट कैश सब्सिडी ट्रांसफर की जैसे बात है, उससे वह 5,000 रुपए ओ.डी. पाएगा। लेकिन अगर किसी किसान के पास अचल सम्पति है, भूमि का स्वामित्व है, तो उस किसान को बैंक क्यों नहीं एक किसान पासबुक इश्यू कर सकता, जिससे उसकी मालियत के अगेंस्ट उसे ओ.डी. या लोन मिल सके? अगर ऐसा हो जाता है तो किसान को जब भी बीज, पेस्टीसाइड्स, सिंचाई या फर्टिलाइजर की जरूरत हो तो वह पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा, जैसे कि आज है।

आज कैश क्रॉप में गन्ना, कपास और आलू की फसल आती है। जिस तरीके से गन्ने का जिक्र कई माननीय सदस्यों ने किया, गन्ना खेतों में खड़ा है, लेकिन चीनी मिलें बंद हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इसे दो हिस्सों में बांटना चाहिए। मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर बताएं कि जो तात्कालिक रूप से दो बार उत्तर भारत में और अन्य जगह भी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसके सम्बन्ध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यह रकम नाकाफी है। क्योंकि जिस तरह से नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, राजस्थान में 14. 5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, वैस्ट बंगाल 50 हेक्टेयर में नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक the foodgrain production is India is expected to decline by 3.2 per cent. इसका मतलब है कि 257 मिलियन टन इस बार पैदावार होने जा रही है। इसकी कल्पना न तो सरकार ने की थी और न ही किसान ने की थी। किसान ने अपनी मेहनत से, खाद, पानी, बीज और कीटनाशक दवाएं छिड़कर उत्पादन किया। इसलिए जो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, पैदावार कम होगी, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

फसल बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरे क्षेत्र के लोगों को एक गारंटी मिलती है बीमा से, तो किसान की भी हर फसल का बीमा हो, जिससे इस तरह के एक्ट आफ नेचर हैं, जिसे न सरकार रोक सकती है, न किसान रोक सकता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा आए, तो किसान फसल बीमा से सुरक्षित रह सकता है।

श्री चन्दू प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, चूंकि मैं भी एक धरतीपुत्र हूं, एक किसान का बेटा हूं।

आज देश में किसान की जो हालत है, किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है, वह धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, आज वह किसान बदहाल है। आज किसान जैसे-तैसे अपनी फसल को जोतता है, नीराई-कुलाई करता है, पीलाई करता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। वह सोचता है कि फसल तैयार होगी तो अपने बच्चों की शादी करवाऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा, ऋण चुकाऊंगा, यह सभी सपने लेकर वह काम करता है, लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो उसके यह सपने टूट जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ही रात में चार-चार सौ ग्राम के ओले गिरे हैं। किसान का खेत तो दूर, उसका घर भी टूट जाता है, ऐसे में किसान की खेती और फसल क्या बचेगी? किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही अपना जीवन गुजार देता है और कर्ज में ही वह मर जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला किसान आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी किसानों के ऋण चुकाने के लिए, कभी समर्थन मूल्य के लिए, कभी किसी अन्य समस्या के लिए और कभी बारिश के पानी का इंतजार करता है कि कब बारिश का पानी आएगा और कब मैं अपने खेत को पानी दूंगा।

अभी फसल बीमा योजना की बात हो रही थी, किसान क्रेडिट योजना की बात हो रही थी, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना की बात हो रही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी थी। आज उन योजनाओं को आगे बढ़ाने काम हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में किसान फसल तैयार करता है और उस बनी बनायी फसल को नील गाय का समूल आकर समाप्त कर देता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा में किसान को अनुदान देकर उसके खेत की बाड़बंदी की जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में ही नहीं, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और मंदसौर में, माननीय वित्त मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरे क्षेत्र में अफीम के किसान भी हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। आज कोई भी नेता चुनाव हार जाता है तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसको दूसरी बार परीक्षा में बैठने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अफीम का किसान ऐसा होता है कि यदि वह एक बार औसत पूरी नहीं कर पाता है और उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसको दूसरी बार लाइसेंस नहीं मिलता है। वह किसान अपने को ठगा सा महसूस करता है जो बरसों से औसत दे रहा है, लेकिन एक बार ओलावृष्टि के कारण वह औसत पूरी नहीं कर पाता है तो उसका लाइसेंस कट जाता है और जिस घर में लाइसेंस होता है, उस किसान को यह लगता है कि मेरे परिवार में एक जवान की मौत हो गयी। हमारे देश में औषधियां और दवाइयां बनती हैं, कॉर्डीन और मॉर्फिन का निर्माण होता है, यह सब हमारे अफीम के किसान के कारण होता है।

14.57 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ईसबगोल, धनिया, जीरा इत्यादि फसलें तो बिलकुल नष्ट हो गयी हैं। ईसबगोल के खेत में ओला गिरने से न केवल फसल बर्बाद हुई बल्कि वे खेत भी बर्बाद हो गए। वे खेत एकदम पत्थरनुमा हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने वहां के किसान को राहत पैकेज देने का काम किया है और मैं केन्द्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां से टीम भेज कर उसका आकलन कराने का काम शुरू किया गया है। हमारे किसानों को उचित मुआवजा देने के साथ-साथ मनरेगा के तहत बाड़बंदी का काम होना चाहिए। यदि किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके भंडारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके आदेश पर तुरन्त ही बैठ जाता हूं इसलिए भविष्य में भी मुझे इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर दिया जाए।

15.23 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Agrarian situation in the country – Contd.

HON. SPEAKER: We shall now again take up the Discussion under Rule 193.

श्री भर्तृहरि मेहताब **(**कटक**) :** ब्लैक मनी के ऊपर जो बिल आया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वह तो इंट्रोडयूस हो गया है। वह अभी नहीं आयेगा।

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I want to share with the House that the other House is discussing the Coal Mines (Special Provisions) Bill 2015. If a contingency arises, then I may have to bring it back here. I only appeal to the Members to have some more patience and continue with the other business. After an hour only we will be able to know what exactly the position is. ...(*Interruptions*)

We are discussing one of the most important issues of the problems of agriculturists in the country. I do not think any time any Government had this much discussion when such a large number of Members is participating.

श्रीमती संतोष अहलावत **(**झुंझुनू**):** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौक दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज कृषि और कृषक की स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सभी थोड़ा शांति से बाहर जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत**:** जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि देश की रीढ़ है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरने वाला किसान स्वयं आत्महत्या करने को क्यों मजबूर है? यह बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। मैं दो दिनों से विद्वान साथियों की चर्चा सुन रही थी। हर कोई किसान और खेती की चिन्ता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन, इसका समाधान क्या है? क्या किसान को सब्सिडी मिले, प्राकृतिक आपदा के समय उसे मुआवजा मिले? वह भी ऊंट के मुंह में जीरे जितना। क्या यही समाधान है? नहीं। कृषि को बदलना होगा। कृषि नीति बहुत पुरानी है। उसे अब बदलने का समय आ गया है। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। किसान के पढ़े-लिखे बेटे-बेटी खेती की तरफ अपना मन बनाएं, ऐसा तब हो पाएगा जब लागत से अधिक आमदनी खेती से प्राप्त होगी। हर खेत को पानी मिले, उपज को उचित मूल्य मिले। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। वे दूसरों की भूमि पर बटाई पर खेती करते हैं। जिनका परिवार पूरी तरह मात्र खेती पर ही निर्भर है, जिनके आय के कोई और स्रोत नहीं हैं, घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई पैंशन नहीं है। ऐसे में अगर ओला वृष्टि हो जाए, फसल को बीमारी लग जाए, अंधड़ और बारिश हो जाए और फसल चौपट हो जाए, तो वह बेचारा कर्ज कैसे चुका पाएगा, यह भी देखना पड़ेगा। फसल कटाई के समय को लेकर किसान सपने देखता है। अनेक कार्यक्रम बनाता है। शादी करनी है, बच्चों की फीस देनी है, तीज-त्योहार मनाने हैं, घर का सामान खरीदना है। आप ही बताएं अगर खेत ही चौपट हो जाएगा, तो यह सब लुटता हुआ देखकर वह ठगा सा रह जाएगा। उस भूमिहीन किसान के आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। आपको दो लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी --

हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे का

हल संग हस्ती मिटा देई एक बीघे का हकदार नहीं।

ऐसे लोग जिन्होंने कभी हल की सूरत तक नहीं देखी, उनके पास हजारों बीघे जमीन है, जो खेती करना नहीं जानते और जिसने हल के साथ सम्पूर्ण हस्ती मिटा दी, उसके पास एक बीघे जमीन नहीं है। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसान को सूद खोरों के चंगुल से बचाया जाए। सरल और कम ब्याज पर बैंक ऋण दे। फसल बीमा का सरलीकरण हो और मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसान के खेत में भी काम हो सके। नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत में पानी पहुंचाया जाए। खाद, बीज, बिजली और पानी मिले, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। राज्यों और केन्द्र सरकार को खेत और खेती को बचाने के वास्तविक प्रयास करने होंगे।

मेरे क्षेत्र में शनिवार और रविवार को ओला वृष्टि हुई। एक वाकया बताना चाहूंगी। एक महिला कृषक है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मई में शादी है। उसे बैंक से मैंने ऋण दिलाया। उसने दो भैंस खरीदी। अभी बेचती तो शायद उसे डेढ़-दो लाख रुपये मिल जाते। उसने बटाई पर पास वाले किसान का खेत बोया था। फसल गई तो गई, उसकी दोनों भैंस भी ओला वृष्टि में मर गई। उसकी सिसकियां और उसका रुदन मेरे कानों में गूंज रहा है। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से

कहना चाहूंगी कि सरकार को ठोस निर्णय लेने चाहिए। कृषक को बचाना होगा क्योंकि खेत में अन्न कृषक ही पैदा करता है। धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करके कीड़ी से लेकर पशु-पक्षी और मनुष्यों तक का पेट भरने वाला कृषक ही है। आपने विनम्र निवेदन करूंगी कि उसे बचाने के लिए सरकार मजबूत कदम उठाए। यही कहकर अपनी बात को विराम देती हूं। धन्यवाद।

*श्री अशोक महादेवराव नेते **(गढ़चिरोली-चिमुर):** नियम 193 के तहत किसानों की समस्या के बारे में इस सदन के कई संसद सदस्यों ने चर्चा की।

यह सही बात है कि जिन किसानों को देश का विकास का कन्हा कहा जाता था वो 70 प्रतिशत किसान आज संकट में है। किसान आत्महत्या कर रहा है। इसीलिये उनकी समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इस चर्चा के दरम्यान मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में गड़चिरोली, चन्द्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर आदि जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो धान (चावल) की फसल लेने वाले जिले है।

वर्ष 2014-15 में देरी से कम और समय पर न आने वाली बारिश से 50-60 प्रतिशत किसानों का नुकसान हुआ है। पहले ही इस साल की बेहिसाबी मौसम से नुकसान और इस वर्ष भी नुकसान, इसलिये किसान परेशान है।

ऐसी स्थिति में किसान के खेतों में जो अनाज है उसको बाजार में भाव न मिलने से और व्यापारियों द्वारा कम दाम पर लेने की चेष्ठा करने से और एफसीआई द्वारा भी धान खरीदी न करने से धान या तो किसानों के घर में या फिर गोडाउन में पड़ा हुआ है।

इस स्थिति का जायजा लिया गया या मालूमात निकालने पर पता चला कि भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देश चावल का का निर्यात करते हैं। लेकिन, इन्हीं देश के स्पर्धा में अभी छोटे-छोटे देश भी उतरे हैं वो भी कम दाम पर निर्यात करते हैं।

दूसरी ओर, इराक, इराक यह देश बड़ी प्रमात्रा में चावल का आयात करते है। उन्होंने मार्च एंडिंग तक पाबंदी लगायी है। ऐसी स्थिति में देश के बाहर माल न जाने से और माल को सही मूल्य न मिलने से माल या तो किसानों के घर या गोडाउन में भरा हुआ है।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों को अपने माल का सही मूल्य मिलने के लिए उत्पादन खर्च के मुताबिक भाव घोषित किया गया तो उनको राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा।

इस गंभीर विषय के तरफ ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करें ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

*श्रीमती रीती पाठक **(सीधी):** हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है। जिसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे किसानों को सीधा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है।

मुझे बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि मैं जिस प्रदेश से आती हूं वो प्रदेश पिछले तीन वर्षों से कृषि के क्षेत्र में अव्वल रहा है। जिसे इस वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी का विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हुए बधाई देती हूं। जैसे- अटल पेंशन योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, किसानों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले एक टीवी चैनल शुरू करने की योजना, चमन योजना (11 राज्यें में फल, सब्जियों व मसालों के फसल उत्पादन व क्षेत्रफल का उपग्रह तकनीकी से वैज्ञानिक आकलन लगाया जा रहा है), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (देसी गयों की नस्ल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मेरा गांव, मेरा गौरव योजना।

मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वो भविष्य में किसानों के लिए लाभप्रद होगा जैसे राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना; भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास; पूर्वोत्तर में 6 नये कृषि महाविद्यालय तथा मेघालय में एक नये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।

माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी योजनाओं को किसानों तक शीघ्र पहुंचाने की कृपा करें जिससे गांवों से पलायन रूक सके व किसानों का जीवन खुशहाल बन सके।

*श्रीमती अंजू बाला **(मिश्रिख):** हमारा देश गाँवों का देश है। यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। आज भी हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कुल जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा इस व्यवसाय पर निर्भर रहकर अपना जीवनयापन करता है और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में सहयोग करता है परन्तु आज तक इस देश की कृषि व किसान को ऐोसी कोई ठोस योजना नहीं दी गयी जिससे कृषि और किसान का समुचित विकास हो सके। इसके कारण ही सदन में कृषि पर चर्चा कराने की आवश्यकता हुई है। अभी कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात हो जाने के कारण तथा पिछली खरीफ की फसल के समय कम वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ, उसके चलते ही किसान के आत्महत्या जैसे दर्दनाक कार्य करने के लिए मजबूर हो रहा है। इससे अहसास होता है कि कृषि व किसान के लिए मजबूत ठोस योजना देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक कारणों से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए समान/मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है। पिछली खरीफ व वर्तमान में रबी की फसल को लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ परंतु किसान के नुकसान की भरपाई किसी भी तरह से नहीं गई। कृषि फसल बीमा का कार्यक्रम तो जारी है परंतु फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। किसान बेहाल है। अतः कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पूरे देश के किसानों का बिजली का बिल और सिंचाई के बिल तत्काल माफ कर दिए जाए और साथ ही मैं चाहूंगी कि केन्द्रीय स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए जो यह आकलन करें कि किसानों को कितनी फसल का नुकसान हुआ है और कहां पर हुआ है। उस टीम में सांसद को भी शामिल किया जाए।

किसान खेती करता है तो उसे उम्मीद होती है कि मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं, अपना घर बनाऊंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा। परन्तु इस तरह से जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो वह किसान बर्बाद हो जाता है। मैं जानती हूं क्योंकि उन का दर्द मैंने समझा है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक कोई ऐसी विशेष तकनीक चलाएं जिससे हमारा "मौसम विभाग" होने वाली ऐसी बेमौसम बरसात और होनी वाली ऐसी प्रलय से पहले ही कोई कदम उठा ले और जिससे किसान पहले से सतर्क हो जाएं।

""कोई चिड़िया चहचहाये तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई भंवरा गीत गाये तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई किसानों के बारे में सोचता है, तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई किसानों को अन्नदाता कहता है, तो मुझे अच्छा लगता है।""

हमारे लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले आते हैं- हरदोई, सीतापुर, कानपुर क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब किसानों ने फसल नुकसान की पीड़ा को मुझसे व्यक्त किया तब मैंने उनसे पूछा आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाये हैं तो अधिकतर लोगों का जवाब था किसान क्रेडिट कार्ड है। फसल का बीमा भी है परन्तु बैंक व बीमा कंपनियां हमसे फसल बीमा का पैसा तो लेती हैं परन्तु फसल का नुकसान हो जाने पर क्लेम नहीं देती है। क्लेम के समय बैंक व बीमा कंपनी कहती है जब तक सरकार दैवी आपदा, बाढ़ सूखा नहीं घोषित करेगी तब तक फसल की बीमा राशि नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की घोषणा के उपरांत किसानों को जो पैसा आता है, जो सहायता मिलती है उसका लाभ किसानों को नहीं हो पाता। बिचौलिए उसे खा जाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि उन्हें सीधे तौर पर मिले यानी कि सीधे उनके खातों में जाए।

सरकार से मांग करती हूं कि फसल बीमा की नीतियों में परिवर्तन कर यदि किसी भी किसान के किसी भी खेत या खेत के कुछ हिस्से में फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यदि फसल बीमा है तो बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए इस बेमौसम बरसात से हमारे लोकसभा क्षेत्र के मिश्रिख के किसानों की लगभग 80 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई सरकार द्वारा करने की घोषणा अविलंब की जाये तथा कृषि व किसान के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनायी जाये जिससे जो अन्नदाता हमें भोजन देता है वह भी भोजन पा सके।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to speak on the issue of agrarian crisis.

Agriculture scenario in Kerala is getting worse day by day, especially in paddy production.

15.29 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The provisional estimate of agricultural income of the State recorded a negative growth of 1.79 per cent during 2009-10. The quick estimate for 2010-11 also indicated a decline of 0.78 per cent in growth over 2009-10. The share was 17.48 per cent during 2004-2005, which declined to 10.59 per cent in 2010-2011. The real GDP growth at factored cost increased to 8.5 per cent in 2010-2011 from 8 per cent in 2009-2010 in the country.

After two consecutive years of subdued performance, agriculture ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, you can continue it afterwards. Now, we have to take up the Private Members' Business.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What about the reply? ...(*Interruptions*) Already, the Government has stated that the most important matter is being discussed in the House. ...(*Interruptions*) The Minister of Parliamentary Affairs has himself said this. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, let him finish.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : What would happen to the reply?...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The reply will come next.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: When will it be? ...(*Interruptions*) Sir, already, the Minister of Parliamentary Affairs has stated here the reason why the Government has taken up the discussion under Rule 193 for two days. ...(*Interruptions*) It is because it is such an important subject relating to the

agrarian situation in the country. ...(*Interruptions*) Why cannot the Government reply now? ...(*Interruptions*) We need a reply from the Government. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please allow me to explain. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Till now, we have discussed about the agrarian situation in the country, and the Minister has to reply to the discussion.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, you are correct, but at the same time, it is the priority of the House to take up the Private Members' Business and that cannot be postponed. Therefore, as regards your query about when the Minister will reply, if the House feels, after 6 o'clock â€¦

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: As far as the business is concerned, you can ask as to when the Minister is going to reply and I am not objecting to it. If the House feels that after the Private Members' Business is over at 6 o'clock, then let us sit after that and listen to the reply. I have got no objection to that. But as far as Private Members' Business is concerned, we cannot postpone it and that is all that I am telling. This is my ruling.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, what did the BAC decide, and what did the Minister of Parliamentary Affairs say yesterday? ...(*Interruptions*) Sir, you were also there yesterday. ...(*Interruptions*) What was decided yesterday? It was decided that at 12 o'clock we will have the reply of the Minister. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The reply at 12 o'clock is a different thing.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The issue of agrarian situation is very important. ...(*Interruptions*) We want to hear the reply of the hon. Minister on this important issue. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Mr. Venugopal, what you say is that this is a very important issue. We have been discussing about the agrarian situation in this country. The Minister has been here, and he is taking notes. There are many more people who want to participate. Why do you want to terminate the debate when the Government wants to hold the debate? ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, let him continue.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: It cannot be after one month. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is nothing wrong in it. We can have it.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Then why was there this urgency? ...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What would be the importance of the issue if you give the reply after one month? ...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : I think that if the Members want to speak on the subject, then it is for the Government to decide how much time we have to allow them to speak and the Government to reply. Now, we have never ...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the time has already been allotted for it in the BAC. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : The BAC has already allotted time for it. ...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, nowhere in the BAC it was decided that the Government would not reply. ...(*Interruptions*) It has been precedence for long that for a discussion under Rule 193, the Members of Parliament participate and the Government will reply. Where is the Government saying that they will not reply? But the Government wants to hear more and more Members. ...(*Interruptions*) So, under the Rules, the Private Members' Business is to be taken up at 3.30 pm. If you want to continue, then we will continue with the debate after 6 o'clock. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is the right of the Members, which cannot be forgot.

...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : We will have as many Members to speak, and we will see when the Government has to give a reply. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: I am also agreeing with you on it. But who is responsible for this? ...(*Interruptions*) I am also agreeing with your views, but the hon. Minister of Parliamentary Affairs is saying that the topmost priority is Rule 193. ...(*Interruptions*) The farmers of the entire country are

facing severe problems. ...(*Interruptions*) We are eager to hear the Government's view on this issue. ...(*Interruptions*) Why is the Government delaying the reply on this important issue? ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: We want to know as to when the hon. Minister will give the reply. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. This we will discuss.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, the Government has to tell as to when they are going to give the reply. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already given my ruling on this issue.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The issue that we are discussing here is very serious. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Karunakaran, what do you want to say?

...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, this discussion was listed two weeks ago, and it has been dragging on a daily basis. ...(*Interruptions*) Every day, we see that the discussion under Rule 193 is being listed in the agenda paper. This has not come yesterday or today. This is the duty or the responsibility of the Government to take the agenda in time and complete it.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Shri Karunakaranji, we have taken the Calling Attention Motion. We also have taken other business. This business is continuing. We have the Private Members' Business. It comes after so much of an effort. Shri C.R. Patil is ready to speak. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Entire thing is done at your convenience. ...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: BAC is an advisory body and the House decides. Now it is a mandatory time for the Private Members' Business. Sir, you must ask the Private Member to start his business. ...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: You want to pass all the Bills, but you are not taking up the Agrarian issue. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran, that can be discussed. It can be discussed with all of you.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: What is the use of the discussion when there is no reply?

HON. DEPUTY SPEAKER: It has not concluded. It is still going on. Anyhow, he has to reply. We have sufficient time. Next Session is also there. At that time, let some more Members speak and then the Minister will reply. Reply is going to be there. It is a serious issue.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue next time.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We can do one thing. If they want the Minister's reply, let this Private Members' Business be over. Then the Bill would come and let that also be over. If they want to sit further and then hear the reply, we can have the reply today also. ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : That is why, we are saying that you are diverting the entire parliamentary convention.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Where is the question of diverting it? We are taking only people's issues. We are not taking anything personal. Secondly, hon. Deputy Speaker has rightly observed that this is a very serious issue and many Members are interest to speak. Some more Members want to speak. The Government is ready to accommodate them. If it is not possible today, we can have it during the next part of the Session. The issue is a live issue. Please try to understand. There is nothing personal, nothing pristine. About 40 more names are there to speak. â€¦ (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will take up next time.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If they want to extend it, we will extend it. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will take it up in the next part of the Session.

HON. SPEAKER: Hon. Members, we have a Supplementary List of Business. We will take up Discussion under Rule 193 afterwards when we get time. Now, Supplementary List of Business – Bills to be introduced. Shri Arun Jaitley....(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, I have a point. ...(*Interruptions*) These Bills have just come at the fag end of the day. ...(*Interruptions*) The Minister has already announced the Budget proposals. The whole country knows it....(*Interruptions*) We welcome the Bill but the question is...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is only introducing it; nothing more than that.

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): We are not passing it today. You will get sufficient time in the break to go through the Bill.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

AND

BILLS PASSED BY RAJYA SABHA*